CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

UPSC & STATE PSCs

लोक प्रशासन

प्रश्नोत्तर रूप में

आईएएस मुख्य परीक्षा अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र 2008-2023

1997–2007 अध्यायवार हल प्रश्न–पत्र
chronicleindia.in पर निःशुल्क उपलब्ध

लोक प्रशासन

प्रश्नोत्तर रूप में

आईएएस मुख्य परीक्षा अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र 2008-2023

वर्ष 2008 से पूर्व के हल प्रश्न-पत्रों के अध्ययन हेतु आप chronicleindia.in पर विजिट कर सकते हैं; ये प्रश्न-पत्र पाठकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।

यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षाओं तथा अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है।

- पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर को मॉडल हल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हों तथा पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हों।
- इस पुस्तक में प्रश्नों से संबंधित अन्य विशिष्ट जानकारियों को भी उत्तर में समाहित किया गया है, ताकि अभ्यर्थी इसका उपयोग न सिर्फ हल प्रश्न-पत्र के रूप में, बल्कि अध्ययन सामग्री के रूप में भी कर सकें।
- इस पुस्तक का उपयोग अभ्यर्थी अपनी उत्तर लेखन शैली में सुधार लाने तथा प्रश्नों की प्रवृत्ति व प्रकृति को समझने के लिए भी कर सकते हैं।

संपादकः एन. एन. ओझा

हलः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

अनुक्रमणिका

- **लोक प्रशासन : मुख्य परीक्षा 2023 हल प्रश्न-पत्र-I 1–16**
- **लोक प्रशासन : मुख्य परीक्षा 2023 हल प्रश्न-पत्र-II 17–32**

प्रथम प्रश्न–पत्र

1. **लोक प्रशासनः परिचय 1–18**
   - लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विषय का विकास तथा इसकी वर्तमान स्थिति, नया लोक प्रशासन, लोक विकल्प उपागम, उदारीकरण की चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण; अच्छा अभिशासन : अवधारणा तथा अनुप्रयोग, नया लोक प्रबंध।
2. **प्रशासनिक विचार 19–65**
   - वैज्ञानिक प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध आन्दोलन, क्लासिकी सिद्धांत, वेबर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना और वेबर पश्चात् का विकास, गतिशील प्रशासन (मैरी पार्कर फॉले), मानव संबंध स्कूल (एल्टोन मेयो तथा अन्य), कार्यपालिका के कार्य (सीआई बर्नाडे), साइमन निर्णयन सिद्धांत, भागीदारी प्रबंध (मैक ग्रेगर, आर. लिकर्ट, सी. आजीरिस)।
3. **प्रशासनिक व्यवहार 66–76**
   - निर्णयन प्रक्रिया एवं तकनीक, संचार, मनोबल, प्रेरणा, सिद्धांत-अंतर्वस्तु, प्रक्रिया एवं समकालीन; नेतृत्व सिद्धांत : पारंपरिक एवं आधुनिक।
4. **संगठन 77–93**
   - सिद्धांत-प्रणाली, प्रासंगिकता; संरचना एवं रूप : मंत्रालय तथा विभाग, निगम, कंपनियां, बोर्ड तथा आयोग-तदर्थ तथा परामर्शदाता निकाय मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संबंध, नियामक प्राधिकारी; लोक-निजी भागीदारी।
5. **जवाबदेही और नियंत्रण 94–104**
   - उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण। नागरिक तथा प्रशासन; मीडिया की भूमिका, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, सिविल समाज, नागरिकों का अधिकार-पत्र (चार्टर), सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा।
6. **प्रशासनिक कानून 105–110**
   - अर्थ, विस्तार और महत्व, प्रशासनिक विधि पर Dicey, प्रत्यायोजित विधान-प्रशासनिक अधिकरण।
7. **तुलनात्मक लोक प्रशासन 111–116**
   - प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक एवं समाज वैज्ञानिक कारक; विभिन्न देशों में प्रशासन एवं राजनीति; तुलनात्मक लोक प्रशासन की अद्यतन स्थिति; पारिस्थितिकी एवं प्रशासन, रिग्सियन मॉडल एवं उनके आलोचक।
8. **विकास गतिशीलता 117–130**
   - विकास की संकल्पना, विकास प्रशासन की बदलती परिच्छेदिका; विकास विरोधी अभिधारणा, नौकरशाही एवं विकास; शक्तिशाली राज्य बनाम बाजार विवाद; विकासशील देशों में प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव; महिला एवं विकास, स्वयं सहायता समूह आंदोलन।
9. **कार्मिक प्रशासन 131–145**
   - मानव संसाधन विकास का महत्व, भर्ती प्रशिक्षण, जीविका विकास, हैसियत वर्गीकरण, अनुशासन, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सेवा शर्तें, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, शिकायत निवारण क्रिया विधि, आचरण संहिता, प्रशासनिक आचार-नीति।
10. **सार्वजनिक नीति 146–161**
    - नीति निर्माण के मॉडल एवं उनके आलोचक; संप्रत्ययीकरण की प्रक्रियाएं, आयोजन; कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा एवं उनकी सीमाएं; राज्य सिद्धांत एवं लोकनीति सूत्रण।
11. **प्रशासनिक सुधार की तकनीक 162–175**
    - संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन एवं कार्य प्रबंधन; ई-गवर्नेस एवं सूचना प्रौद्योगिकी; प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे कि नेटवर्क विश्लेषण, MIS, PERT, CPM
12. **वित्तीय प्रशासन 176–194**
    - वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियां, लोक उधार ग्रहण तथा लोक ऋण। बजट प्रकार एवं रूप; बजट-प्रक्रिया, वित्तीय जवाबदेही, लेखा तथा लेखा परीक्षा।

द्वितीय प्रश्न–पत्र

1. **भारतीय प्रशासन का विकास** 195–202

◆ कौटिल्य का अर्थशास्त्र; मुगल प्रशासन; राजनीति एवं प्रशासन में ब्रिटिश शासन का रिक्थ (Legacy)- लोक सेवाओं का भारतीयकरण, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन।

2. **सरकार का दार्शनिक और संवैधानिक ढांचा** 203–214

◆ प्रमुख विशेषताएं एवं मूल्य आधारिकाएं; संविधानवाद; राजनैतिक संस्कृति; नौकरशाही एवं लोकतंत्र; नौकरशाही एवं विकास।

3. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** 215–222

◆ आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रूप; स्वायत्तता, जवाबदेही एवं नियंत्रण की समस्याएं; उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव।

4. **केंद्र सरकार और प्रशासन** 223–245

◆ कार्यपालिका, संसद, विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य प्रक्रियाएं; हाल की प्रवृत्तियां; अंतराशासकीय संबंध; कैबिनेट सचिवालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; केन्द्रीय सचिवालय; मंत्रालय एवं विभाग; बोर्ड, आयोग, संबद्ध कार्यालय; क्षेत्र संगठन।

5. **योजनाएं और प्राथमिकताएं** 246–262

◆ योजना मशीनरी, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, रचना एवं कार्य, संकेतात्मक आयोजना, संघ एवं राज्य स्तरों पर योजना निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन (1992) एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेन्द्रीकरण आयोजना।

6. **राज्य सरकार और प्रशासन** 263–280

◆ संघ-राज्य प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय संबंध; वित्त आयोग भूमिका; राज्यपाल; मुख्यमंत्री; मंत्रिपरिषद; मुख्य सचिव; राज्य सचिवालय; निदेशालय।

7. **स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन** 281–285

◆ कलेक्टर की बदलती भूमिका, संघ-राज्य स्थानीय संबंध, विकास प्रबंध एवं विधि एवं अन्य प्रशासन के विध्यर्थ, जिला प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

8. **नागरिक सेवाएं** 286–307

◆ सांविधानिक स्थिति; संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; सुशासन की पहल; आचरण संहिता एवं अनुशासन; कर्मचारी संघ; राजनीतिक अधिकार; शिकायत निवारण क्रियाविधि; सिविल सेवा की तटस्थता; सिविल सेवा सक्रियतावाद।

9. **वित्तीय प्रबंधन** 308–325

◆ राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट; लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण; मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका; लेखाकरण तकनीक; लेखापरीक्षा; लेखा महानियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका।

10. **स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार** 326–334

◆ प्रमुख सरोकार; महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग; वित्तीय प्रबंध एवं मानव संसाधन विकास में हुए सुधार; कार्यान्वयन की समस्याएं।

11. **ग्रामीण विकास** 335–341

◆ स्वतंत्रता के बाद से संस्थान एवं अभिकरण; ग्रामीण विकास कार्यक्रम; फोकस एवं कार्यनीतियां; विकेन्द्रीकरण पंचायती राज; 73वां संविधान संशोधन।

12. **शहरी स्थानीय सरकार** 342–353

◆ नगरपालिका शासन : मुख्य विशेषताएं, संरचना वित्त एवं समस्या क्षेत्र, 74वां संविधान संशोधन; विश्वव्यापी स्थानीय विवाद; नया स्थानिकतावाद; विकास गतिकी; नगर प्रबंध के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासन।

13. **कानून और व्यवस्था प्रशासन** 354–367

◆ ब्रिटिश रिक्थ; राष्ट्रीय पुलिस आयोग; जांच अभिकरण; विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उपप्लव एवं आतंकवाद का सामना करने में पैरामिलिटरी बलों समेत केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों की भूमिका; राजनीति एवं प्रशासन का अपराधीकरण; पुलिस लोक संबंध; पुलिस में सुधार।

14. **भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे** 368–382

◆ लोक सेवा में मूल्य; नियामक आयोग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; बहुदलीय शासन प्रणाली में प्रशासन की समस्याएं; नागरिक प्रशासन अंतराफलक; भ्रष्टाचार एवं प्रशासन; विपदा प्रबंधन।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023

लोक प्रशासन

(प्रथम प्रश्न-पत्र)

लोक प्रशासन: परिचय

प्र. भूमंडलीकृत युग में नागरिकों की जटिल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोक प्रशासन के क्षितिज का विस्तार हो रहा है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर: वैश्वीकरण के वर्तमान युग में जटिल नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोक-प्रशासन का व्यापक विकास हुआ है। लोक-प्रशासन का यह विस्तार वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक जटिलताओं का समाधान करने के क्रम में अनुकूलित एवं सहयोगात्मक शासन की अनिवार्यता को प्रदर्शित करता है।

- **वैश्वीकरण एवं अंतर्संयोजनात्मकता:** वैश्वीकरण के प्रभाव से विभिन्न देशों के मध्य निकटता एवं निर्भरता में वृद्धि हुई है। इसके कारण लोक-प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्र की सीमाओं के पार अनुकूलन एवं सहयोग की बढ़ती आवश्यकताओं को देखा जा सकता है। उदाहरण- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाएं वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एवं सहयोग कर रही हैं।
- **तकनीकी प्रगति:** वैश्वीकरण के प्रभाव से तीव्र तकनीकी प्रगति देखने को मिल रही हैं। सतत रूप से होने वाली तकनीकी प्रगति ने लोक-प्रशासन के स्वरूप में बदलाव किया है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स एवं डिजिटल सेवा वितरण जैसी डिजिटल प्रशासनिक पहलों के कारण नागरिक दक्षता एवं पहुंच में वृद्धि हुई है। उदाहरण- भारत की 'आधार प्रणाली' पहचान सत्यापन तथा सेवाओं के वितरण में क्रांतिकारी पहल सिद्ध हुई है।
- **मुद्दों की जटिलता:** वैश्वीकरण एवं तकनीकी प्रगति से अधिक जटिल एवं बहुआयामी सामाजिक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, तथा सामाजिक-आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां इन चुनौतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। जटिल सामाजिक मुद्दों के के समाधान हेतु नवीनीकृत नीतियों एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का निर्धारण इसी प्रकार की बहु-आयामी चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयास को इंगित करता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** संसाधनों के कुशल उपयोग तथा विशेषज्ञता के अधिकतम लाभ हेतु सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों के मध्य सहयोग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के बीच लोक प्रशासन का स्वरूप नियामक हो गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर लोक-प्रशासन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार देखा जा सकता है।
- **विकेंद्रीकरण और नागरिक भागीदारी:** राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा तकनीकी प्रयासों के कारण लोक प्रशासन अधिक विकेंद्रित हुआ है तथा प्रशासन में नागरिकों की अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है। स्थानीय सरकारें एवं समुदाय-आधारित संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण- 'सहभागी बजट पहल' नागरिकों को सशक्त बनाकर प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

इस प्रकार वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी विकास तथा सामाजिक जटिलताओं के वर्तमान युग में चुनौतियों का स्वरूप बहु-आयामी हुआ है। इन चुनौतियों का समाधान करने के क्रम में लोक-प्रशासन ने अपने क्षितिज में विस्तार किया है।

प्र. मिन्नोब्रुक III ने लोक प्रशासन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि पैदा करने में प्रयोगात्मक अनुसंधान के महत्व पर बल दिया और इस क्षेत्र में शिक्षा को विभिन्न क्षेत्रीय संदर्भों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को पहचाना। परीक्षण कीजिए।

उत्तर: 2008 में आयोजित ऐतिहासिक सम्मेलन मिनोब्रुक III में लोक प्रशासन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में अनुभवजन्य अनुसंधान के महत्व को रेखांकित किया गया तथा इस क्षेत्र में शिक्षा को विविध क्षेत्रीय संदर्भों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में प्रतिपादित किए गए विचारों को वैश्विक स्तर पर लोक प्रशासकों के समक्ष उभरने वाली चुनौतियों और जटिलताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।

- मिनोब्रुक III सम्मेलन में विचार दिया गया कि लोक-प्रशासनिक शिक्षा को मानकीकृत नहीं किया जाना चाहिए; बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण- विकासशील देशों में प्रशासनिक संरचनाएं एवं क्षमताएं कमजोर होती हैं। इन देशों में शिक्षा का मौलिक ध्यान प्रशासनिक कौशल निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के साथ भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर होना चाहिए।
- दूसरी तरफ, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रणनीतिक प्रबंधन, नीतिगत विश्लेषण और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023

लोक प्रशासन

(द्वितीय प्रश्न-पत्र)

भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. "कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य एवं शासनकला पर एक सैद्धांतिक कृति है।" टिप्पणी कीजिए।

उत्तर : कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यापक और व्यवस्थित ग्रंथ है जिसमें शासन कला के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से चर्चा की गई है। यह शासन के सैद्धांतिक आधारों को बारीकी से रेखांकित करता है, तथा राज्य के कामकाज को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह राज्य की प्रकृति, शासक की भूमिका और शासन कला को दिशा देने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों पर चर्चा करता है।

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने राज्य और समाज के बीच संबंधों को रेखांकित किया जो काफी हद तक "सामाजिक अनुबंध" सिद्धांत के अनुरूप था; इसने शासक और शासित के बीच आपसी समझौते पर जोर दिया। इसने मत्स्य न्याय (जंगल का कानून) को खारिज कर दिया और एक संगठित राज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया जहां शक्तिशाली कमजोरों पर हावी न हों यानी "कानून का शासन" ही शासन का मूल आधार था।
- इसने राज्य में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में राजा की भूमिका को चित्रित किया, राजा का मूल कर्तव्य "योगक्षेम" अर्थात नागरिकों का कल्याण होना चाहिए, राजा की खुशी उसके नागरिकों की खुशी में निहित है।
- इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत में शासनकला की प्रकृति को बताया गया है, जिसमें राज्य बनाने वाले सात आवश्यक तत्व शामिल थे। इस संरचनात्मक ढांचे में (i) स्वामी, (ii) अमात्य, (iii) जनपद, (iv) दुर्ग, (v) कोष, (vi) दण्ड, तथा (vii) मित्र शामिल थे। इसने शासन के विभिन्न घटकों को समझने और व्यवस्थित करने के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका प्रदान की।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में "कानूनों के संहिताकरण" और पारंपरिक वर्णाश्रम-आधारित कानूनों का उपयोग नही करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को अपने स्वयं के कानून बनाने का अधिकार है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने सहयोगियों (मित्र) के महत्व को संबोधित किया, बाहरी गठबंधन बनाने से पहले आंतरिक तत्वों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कूटनीतिक रणनीतियों और भू-राजनीतिक विचारों की सूक्ष्म समझ को दर्शाता है।

इस प्रकार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने गहन विश्लेषण, नवीन कानूनी दृष्टिकोण, व्यवस्थित रूपरेखा, व्यावहारिक रणनीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारों और राज्य की प्रकृति और कार्यप्रणाली की समझ के कारण शासनकला पर एक सैद्धांतिक रचना है।

सरकार का दार्शनिक और संवैधानिक ढांचा

प्र. आलोचक कभी-कभी तर्क करते हैं कि नौकरशाही राष्ट्र के विकास में बाधक होती है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर : वेबरियन मॉडल में निहित नौकरशाही को राष्ट्र के विकास के लिए अभिन्न माना जाता है, जो नीति कार्यान्वयन, संसाधन प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुशल और तर्कसंगत प्रशासन पर जोर देने वाला यह मॉडल परिभाषित भूमिकाओं और औपचारिक नियमों के साथ संरचित संगठन स्थापित करना चाहता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य निर्णय लेने में पूर्वानुमान और सटीकता को बढ़ाना है, जो समग्र प्रशासनिक प्रभावशीलता में योगदान देता है।

- हालांकि, वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है, तथा ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं जो मॉडल के आधारभूत मूल्यों के विपरीत प्रतीत होती हैं। पीटर ड्रकर का मानना है कि नौकरशाही का मॉडल सभी देशों में लागू नहीं किया जा सकता। यह सार्वभौमिक नहीं है। राबर्ट मर्टन के अनुसार नौकरशाही औपचारिकता पर बल देती है, जिससे इसमें कुशलता द्वितीयक हो जाती है। रिग्स महोदय के अनुसार वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील समाज के लिए अनुपयुक्त है।

नौकरशाही से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां

- **लालफीताशाही:** नौकरशाही की अत्यधिक लालफीताशाही ने त्वरित निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है। बोझिल कागजी कार्रवाई और जटिल प्रक्रियाएं अकुशलता को बढ़ावा देती हैं, जो वेबरियन मॉडल द्वारा परिकल्पित सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं।
- **भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद:** नौकरशाही प्रणालियों के भीतर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण संसाधनों का अनुचित उपयोग किया जाता है, जिससे अकुशलता और असमानता को बढ़ावा मिलता है। प्रचलित रिश्वतखोरी, दलाली और पक्षपात तर्कसंगत और पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता को कमजोर करते हैं।
- **नवाचार और अनुकूलनशीलता का अभाव:** कठोर पदानुक्रमिक संरचना और स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया बाधित होती है। यह विकासशील परिस्थितियों के लिए राष्ट्र की अनुकूलनशीलता को बाधित करता है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
(प्रथम प्रश्न पत्र)

लोक प्रशासनः परिचय

प्र. लोक प्रबंध लोक प्रशासन से 'क्या' और 'क्यों' तथा व्यवसाय प्रबंध से 'कैसे' लेता है। विस्तार से समझाइए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः लोक प्रबंध सामान्य तौर पर शासकीय नीति के विभिन्न पहलुओं का विकास, उन पर अमल एवं उनका अध्ययन है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, इसका संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है।

- **लोक प्रबंध लोक प्रशासन से 'क्या' और 'क्यों' प्राप्त करता है?** लोक प्रशासन आम जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। लोक प्रशासन जन केन्द्रीत नीतियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे सुशासन की स्थापना होती है।
- **लोक प्रबंध लोक प्रशासन से क्यों लेता है?** क्योंकि सामाजिक समझौता के सिद्धांत के तहत राज्य वैधानिक तथा नैतिक रूप से लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य है और राज्य जनता से सत्ता प्राप्त करता है। अतः लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी है।
- **वहीं लोक प्रबंध व्यवसाय प्रबंध से 'कैसे' लेता है?** अर्थात लोक प्रशासन को काम करने के लिए कौन से तकनीक की जरूरत है। इसका संबंध व्यवसाय प्रबंध से हैं। जैसेः कार्य विभाजन, मानव संसाधन निर्माण, अनुबंध प्रक्रिया, नव लोक प्रबंध, क्षमता निर्माण, निजिकरण, संगठनात्मक विकास आदि।

निष्कर्षः

अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लोक प्रबंध लोक प्रशासन से क्या और क्यों तथा व्यवसाय प्रबंध से कैसे लेता है।

प्र. लोक सेवा परिदान में दक्षता को वांछित स्तर पर लाने के लिए लोक सेवा अभिप्रेरण उपागम का एक अभिप्रेरक के रूप में परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तरः लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक अभिप्रेरण उपागम है। अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक होती है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। यह एक ऐसा अंतः कारक है जो कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है।

- अभिप्रेरणा वह मनौवैज्ञानिक बल है जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है। इसकी तुलना जनरेटर से की जाती है जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होता है अर्थात मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाला तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा करते हैं, जिससे लोक सेवा में वांछित अभिप्रेरणा लाया जा सकता है।
- लोक प्रशासन में अभिप्रेरणा पर व्यापक विचार रखने वाले हर्जवर्ग महोदय, अब्राहम मासलों मैक ग्रेटर आदि हैं। हर्जबर्ग महोदय का मानना है कि 'अभिप्रेरक धारकों' के अंतर्गत उपलब्धि, पहचान, कार्य चुनौतियां, उत्तरदायित्व, विकास एवं वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। इस क्रम में अभाव तथा वृद्धि दोनों क्रम की आवश्यकताएं शामिल है।

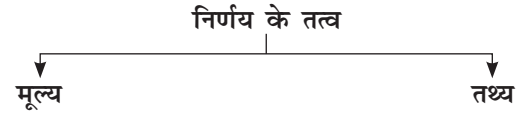

- डगलस मैकग्रेगर के अनुसार अधिकांश लोगों में क्षमता की कमी होती है और वे हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं जबकि 'सिद्धांत वाई' के अनुसार रचनात्मक की क्षमता जनसंख्या में व्यापक रूप में फैली हुई है। ज्यादातर लोग स्वभाव से रचनात्मक होते हैं और वे किसी भी बदलाव को स्वीकार करते हैं। जो आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अति आवश्यक है।
- अभिप्रेरणा लोगों की उद्यमशिलता बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार है। भारत के संदर्भ में भी यह सिद्धांत समीचीन प्रतीत होता है। क्योंकि संगठन में कार्यरत व्यक्ति की अभिप्रेरणा स्रोत निरंतर बदलता रहता है। अतः प्रबंधकों को उनकी बदलती हुई अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर अभिप्रेरित करना चाहिए।
- जिससे संगठन में वांछित समन्वय एवं उत्पादकता स्तर में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। एक अभिप्रेरित सिविल सेवक ही अंतःकरण से सर्वोदय की संकल्पना को साकार कर सकता है।

प्र. एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रशासनिक चिंतन की विभिन्न धाराओं का समाकलन संस्कृति के प्रभाव से बाधित होता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तरः ऐसे प्रशासनिक सिद्धांत जो सभी देश, क्षेत्र व काल में एक जैसे हो और सभी को स्वीकार्य हो ऐसे सिद्धांतों को सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत कहा जा सकता है। ऐसे में इन सिद्धांतों को विज्ञान की तरह सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है।

प्रशासनिक विचार

प्र. बर्नार्ड उदासीनता के क्षेत्र को एक मानवीय दशा मानता है जो आधुनिक संगठनों में प्राधिकार संबंधों तथा सहयोग को चेतन करता है। परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: चेस्टर बर्नार्ड ने सहकारी प्रणालियों के रूप में संगठनों पर जोर दिया। उन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की प्रकृति और उनकी पारस्परिक अंतर-निर्भरता को स्पष्ट रूप से समझाया।

- बर्नार्ड ने दूसरों द्वारा अधिकार की स्वीकृति पर जोर दिया। बर्नार्ड ने उदासीनता के क्षेत्र के अस्तित्व की भी व्याख्या की है। यदि आदेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। संगठन की जटिल प्रकृति और इसके कामकाज में यह अंतदृष्टि संगठनों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती हैं।

बर्नार्ड ने प्राधिकार के तीन तत्व बताएं हैं-

1. उद्देश्य
2. योगदान की तत्परता या निरंतरता
3. संचार या सत्ता

- बर्नार्ड ने सत्ता को संचार के लिए आवश्यक माना। वस्तुत: बर्नार्ड ने संचार को ही सत्ता माना। उन्होंने फेयोल, वेबर की सत्ता संबंधी यह धारणा उलट दी कि सत्ता शीर्ष पर केन्द्रीत होती है और उच्चाधिकारी के पास होती है। इसके स्थान पर बर्नार्ड ने "सत्ता की स्वीकृति" विचारधारा का समर्थन किया।

सत्ता की स्वीकृति विचारधारा

- बर्नार्ड के अनुसार, उच्चाधिकारी की सत्ता का वैधानिक आधार अधीनस्थ की स्वीकार्यता में है। उच्चाधिकारी सत्ता के आधार पर जो भी निर्णय लेता है या आदेश देता है वे तभी प्रभावी होते हैं जब अधीनस्थ उन्हें स्वीकार कर ले। अर्थात वे ही निर्णय या आदेश सत्ता स्वीकार करते है जिन्हें अधीनस्थ स्वीकार करते हैं। उनकी स्वीकृति सत्ता को अनुपस्थित कर देती है।
- किसी आदेश को अधीनस्थ तभी मानेगा जब निम्न चार शर्ते एक साथ पूरी हो:

1. जब संचार बोधगम्य हो अर्थात वह संचार को समझ ले।
2. जब संचार संगठन के उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं हो।
3. जब संचार उसके वैयक्तिक हितों के पूर्ण अनुकूल हो
4. जब वह आदेश का अनुपालन करने में मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है।

उदासीनता का क्षेत्र कैसे निर्धारित हो?

- बर्नार्ड के अनुसार, उदासीनता के क्षेत्र का निर्धारण संतोष-योगदान के संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को विस्तृत करके ही अधिकारिक आदेशों को स्वीकार्य बनाया जा सकता है और इस क्षेत्र को बढ़ाना होगा। योगदान तभी बढ़ेगा जब संतोष बढ़ेगा। अत: प्रबंधकों को कार्मिक संतोष पर ध्यान देना चाहिए।

सहयोग

- बर्नार्ड के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भौतिक और सामाजिक सीमा होती है अत: वह अकेला उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। यह सीमा ही सहयोग को आवश्यक बना देती है। इस सहयोग को संचार ही सुनिश्चित करता है।

बर्नार्ड की प्राधिकार विचारधारा के प्रमुख तत्व

(a) संगठन में प्राधिकार का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है।

(b) सत्ता की उपस्थिति ही प्राधिकार नहीं है अपितु सत्ता का अनुपालन प्राधिकार है।

(c) सत्ता एक कार्यात्मक अवधारणा है अर्थात कार्य से संबंधित होती है पद से नहीं।

(d) सत्ता की स्वीकृत विचारधारा के अंतर्गत बर्नार्ड ने उदासीनता का क्षेत्र निर्धारित किया।

निष्कर्ष:

प्राधिकार (सत्ता) की स्वीकार्यता उदासीनता के क्षेत्र से निर्धारित होती है। अत: उच्चाधिकारियों की ऐसे आदेश दे देने चाहिए जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हों।

प्र. 'विवर्तन की प्रक्रिया जितनी अधिक बहिर्जात होती है, इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही औपचारिक और विजातीय होती है; जितनी अधिक अन्तर्जात होती है, इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही कम औपचारिक और कम विजातीय होती है।' रिग्ज की इस परिकल्पना का परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: प्रिज्मीय समाज का विश्लेषण करते हुए रिग्स महोदय ने यह स्पष्ट किया कि यह एक संक्रमणकालीन समाज है, जिसमें विस्तृत (अल्प विकसित या परम्परागत समाज) तथा विवर्तित (आधुनिक समाज) दोनों की विशेषताएं पायी जाती हैं।

प्रशासनिक व्यवहार

प्र. प्रशासनिक राज्य एक ऐसी शक्ति का निर्माण है जो हमें नियमों के साथ बांधती है जो कि विधायिका द्वारा नहीं बनाए गए हैं। प्रशासनिक राज्य की संवैधानिकता तथा इसके भविष्य का विवेचन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: प्रशासनिक राज्य में लोक प्रशासन प्रशासनिक मशीनरी का निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करता है। प्रशासन को वह नेतृत्व देता है। प्रश्न यह है कि ऐसी क्या अनिवार्यताएं है जो इसे प्रशासनिक राज्य हमें नियमों के संघ बांधती है और शक्तिशाली पुञ्ज बनने में भागीदार है।

उत्तरदायित्व की मांग: प्रशासन में भ्रष्टाचार, ढेरों अनियमितताएं व दोषों की संभावनाएं बनी रहती है। इन दोषों के प्रभाव एवं प्रसार को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक कार्यालय को इन सबका उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

जन कल्याण: जन कल्याण लोक प्रशासन की पहली शर्त है विशेषकर एक प्रजातंत्रीय राज्य में तो इस बात की महती आवश्यकता होती है कि शासन अपने आपको जनकल्याण से जोड़े रहे। जनता की भी यह अकांक्षा रहती है कि उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि उनके जन कल्याण में संलग्न रहें। जनता की विभिन्न मांगों में समन्वय भली प्रकार से तब ही किया जा सकता है जब कार्यपालिका शाखा में एकता रहे व उसे व्यापक अधिकार मिलें।

राष्ट्रीय सुरक्षा: अपनी आंतरिक एवं बाहरी संपुभुता को अक्षुण्ण बनाए रखकर राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार का प्रधान कर्तव्य होता है। प्रशासनिक एकता एवं दृढ़ता के बिना किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं बनाई जा सकती। प्रशासनिक शक्ति के केन्द्रीकरण द्वारा ही देश की सुरक्षा संभव है।

समन्वय हेतु: प्रशासकीय विभागों में एकता बनाए रखने के लिए मुख्य कार्यपालिका का होना आवश्यक हैं विशेषीकरण के वजह से विभागों में पारस्परिक मतभेदों का निबटारा जितनी कुशलता से मुख्य कार्यपालिका कर सकती है उतनी कुशलता से कोई अधिकारी नहीं कर सकता।

बचत एवं कार्यकुशलता: प्रशासकीय राज्य में केन्द्रीयकरण कर दिए जाने पर अपव्यय एवं द्रुव्यय रोकने में बहुत मदद मिलती है। इससे कार्यकुशलता भी बढ़ती है।

लोक प्रशासन प्रशासकीय राज्य का केन्द्र बिन्दु होता है। समस्त प्रशासन तंत्र उसके चारों ओर घूमता है। वही नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रशासकीय ढांचा पिरामिडाकार होता है।

- **मैक्स वेबर के अनुसार** प्रशासन तार्किक वैधानिक आधार पर कार्य करता है अत: यह शक्तिशाली होता है। वेबर महोदय के अनुसार प्रशासन सार्वभौमिक है तथा संगठन निजी हो या सरकारी जहां भी नौकरशाही के लक्षण पाए जाएंगे नौकरशाही स्वत: ही विद्यमान हो जाएगी।
- प्रशासनिक राज्य का साम्राज्य इतना बड़ा तथा व्यवस्थित होता है कि एक बार स्थापित हो जाने के बाद उसका विकल्प ढूंढना कठिन होता है। इसका कारण नौकरशाही की प्रभुता है जो इसमें निहित ज्ञान व निर्वैक्तिकता के कारण स्थापित होती है।
- **ज्ञान आधारित संगठन** होने के कारण जहां एक ओर यह अन्य संगठन से अधिक प्रभावशाली होता है वही इसकी निर्वैक्तिकता के कारण लोगों का इस पर अधिक विश्वास होता है।
- वर्तमान समय में प्रशासनिक राज्य में समस्या से निजात पाने के लिए तकनीक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर और राइट टू इन फॉरमेशन के माध्यम से प्रशासन में हाल के दिनों में सक्रियता आयी है।

निष्कर्ष:

अत: प्रशासनिक राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो चाहे पूंजीवादी या समाजवादी देश हो सभी में पायी जाती है। इसके विकल्प अभी तक मौजूद नहीं है केवल सुधार लाया जा सकता है।

प्र. मानव संबंधवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि 'कामगार के लिए क्या महत्वपूर्ण है और जो उनके उत्पादकता स्तर को प्रभावित करता है, हो सकता है सांगठिक चार्ट नहीं है बल्कि अन्य कामगारों के साथ उनका संबंध है।' क्या यह आज ज्यादा प्रासंगिक है?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: वर्तमान में लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव संबंधवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके आधार पर पूंजी व श्रम प्रशासन और अधीनस्थ, मालिक और नौकर व्यक्ति और समाज आदि के मध्य उत्पन्न संघर्ष समाप्त किये जा सकते हैं।

- इसके माध्यम से मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जा सकता है। यह विचारधारा संगठन व प्रशासन को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रेरणा देती है।
- **मानवीय संबंधों से तात्पर्य** नियोक्ताओं और कार्मिकों के उन संबंधों से है जो कानूनी मानकों द्वारा नियंत्रित नहीं होते।
- ये संबंध नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित है। यह विचारधारा व्यक्तियों और उनकी प्रेरणाओं पर बल देती है।

संगठन

प्र. प्रत्येक मानवीय संगठन व्यवस्था-I से प्रारंभ होकर अन्ततः व्यवस्था-IV पर समाप्त होता है। लिकर्ट के कथन पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः व्यवस्था-**I** से व्यवस्था-**IV** 1960 के दशक में रेंसिस लिकर्ट द्वारा विकसित प्रबंधन शैलियां हैं। उन्होंने औद्योगिक संगठन प्रबंधकों और अधीनस्थों के संबंधों, भागीदारी और भूमिकाओं का वर्णन करने के लिए प्रबंधन की चार शैलियों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने एक अमेरिकी बीमा कंपनी के अत्यधिक उत्पादक पर्यवेक्षकों और उनकी टीम के सदस्यों के अध्ययन पर सिस्टम आधारित किया।

- आगे चलकर रेंसिस लिकर्ट ने शैक्षणिक संगठन पर लागू करने के लिए सिस्टम को संशोधित किया। उन्होंने शुरू में प्रधानाध्यापकों, छात्रों और शिक्षकों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का इरादा किया था। अंततः अधीक्षक, प्रशासक, और माता-पिता को शामिल किया गया।

लिकर्ट द्वारा स्थापित प्रबंध प्रणाली निम्नवत हैं-

- शोषक आधिकारिक (व्यवस्था-I)
- परोपकारी आधिकारिक (व्यवस्था-II)
- सलाहकार (व्यवस्था-III)
- सहभागी (व्यवस्था-IV)

- किसी भी संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक कर्मचारियों को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से प्रेरित करते हैंए जो मौद्रिक पुरस्कार, लक्ष्य निर्धारण में भागीदारी और प्रबंधन में विश्वास पैदा करती है।
- प्रबंधन कर्मचारियों को उनकी व्यावसायिक भूमिका के बाहर शामिल होने और संगठन में सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- पहले के समय में लोगों को केवल मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना प्राथमिक लक्ष्य था अतः इसकी पूर्ति व्यवस्था-I से हो जाता था, लेकिन वर्तमान में लोग बेसिक जरूरतों की पूर्ति के बाद स्व विश्लेषण/आध्यात्मिक विकास जैसे समग्र विकास पर बल दे रहे हैं। ऐसे में सभी मानवीय संगठन में व्यवस्था-I से व्यवस्था-IV अनिवार्य प्रतीत होता है।

प्र. शास्त्रीय संगठन सिद्धांत आधुनिक संगठन सिद्धांतों के लिए आधार सृजित करता है। विश्लेषण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः शास्त्रीय संगठन सिद्धांत के अंतर्गत जिन नियमों और सिद्धांतों की खोज की गई वे हैं- पदसोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, समन्वय, पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन आदि।

- **शास्त्रीय संगठन के सिद्धांत** आधुनिक संगठन के आधार स्तम्भ का कार्य करते है। औपचारिक संगठन का संचालन अनेक सिद्धांतों के आधार पर होता है। उनमें केन्द्रीकरण-विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन एवं पर्यवेक्षण का अपना महत्व है।
- संगठन में केन्द्रीकरण अथवा विकेन्द्रीकरण को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, उत्तरदायित्व, संगठन की अवस्था, संगठन के कार्य, उच्चाधिकारी की सोच, संगठन की विधियां व कार्यप्रणालियां तथा बाध्य वातावरण आदि।
- **आधुनिक संगठन** सिद्धांतों में भी संगठन को लचीला बनाने, नवीन प्रयोगों के अवसर, व्यापक हितों को सहभागिता देने की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण एक लोकप्रिय व्यवस्था है।
- आधुनिक संगठन सिद्धांतों में भी कार्य मात्रा में अभिवृद्धि, मानवीय सीमाएं, कार्यात्मक प्रक्रियाओं की जटिलता एवं विशिष्टीकरण की आवश्यकता, नीति एवं नियोजन हेतु समय की बचत, शैक्षणिक महत्व एवं उत्तरदायित्व में भागीदारी, प्रबंधकीय विकास, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन, कार्यकुशलता एवं मितव्ययता आदि में सहायक होने की वजह से प्रत्यायोजन आवश्यक है।
- पर्यवेक्षण द्वारा आधुनिक संगठनों में भी कार्य योजना का निर्धारण, कार्य आबंटन, कार्य निष्पादन के मानकों का निष्पादन, व्यक्तिगत आचरण के नियम निर्धारण तथा उपकरणों के उचित रख-रखाव जैसे कार्य संपन्न होते हैं।

निष्कर्षः

अतः स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगठन सिद्धांतों के केन्द्रीकरण-विकेन्द्रीकरण, प्रत्योजन तथा पर्यवेक्षण जैसे सिद्धांत आधुनिक संगठन के भी आधार का कार्य करते हैं।

प्र. व्यूहरचनात्मक सम्प्रेषण को एक चुस्त प्रबंध प्रक्रिया होना चाहिए। सरकारी कार्यवाहियों के लिए व्यूहरचनात्मक संप्रेषण की संकल्पना का विवेचन कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः व्यूहरचनात्मक सम्प्रेषण अर्थात सामरिक संचार एक ऐसी अवधारणा है जो किसी संगठन के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य को उन्नत योजना की अनुमति देता है।

- सामरिक संचार आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार या समर्पित वैश्विक नेटवर्क परिसंपत्तियों का उपयोग करके कार्यों का समन्वय करता है।

जवाबदेही और नियंत्रण

प्र. रूपान्तरणकारी नेतृत्व के लिए उच्च कोटि के समन्वय, सम्प्रेषण तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। व्याख्या कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)**

उत्तर: नेतृत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करना अर्थात किसी कार्य के सम्पूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करना और सभी को मार्ग प्रसस्त करना है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर किसी को राह दिखाने का कार्य करता है।

- जिन व्यक्तियों में बेहतर समन्वय, सम्प्रेषण तथा सहयोग की क्षमता होती है वह अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग जो अपने विचारों से दूसरों के मनोबल में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की कला होती है। और ऐसी व्यक्तियों में समूह का निर्देशन करने की कला होती है।
- **विद्वान बेरन और बारने के अनुसार,** नेतृत्व वह क्रिया है जिसमें एक नेता लोगों पर अपना प्रभाव डालता हैं और वह उद्देश्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है।
- मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को ही समाज के नेता के रूप में घोषित किया जाता हैं। उसके अंदर वह क्षमता होती है कि वह हर परिस्थिति में समाज या समूह का मार्गदर्शन कर सकता है।

नेतृत्व की विशेषता

- नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं आकर्षित होना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- संवेगात्मक भावों में उस व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिससे उसे किसी भी परिस्थिति को संभालने में सहायता मिल सके।
- समाज के साथ समायोजन रखने वाला व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की योग्यता विद्यमान रहती है।
- नेतृत्व में समन्वय का गुण होना चाहिए।
- नेतृत्व में बेहतर संप्रेषण कौशल होना चाहिए।
- नेता सहयोगी स्वभाव का होना चाहिए।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेहतर संप्रेषण शैली एवं समन्वय शैली तथा गरीब तबका के प्रति सहयोगी स्वभाव के कारण देश की जनता ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया है।

जो व्यक्ति समाज में बिना किसी पद पर आसीन हुए अपने व्यक्तित्व के आधार पर मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान रहती है और ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों का मार्गदर्शन करने में अपनी रुचि रखते हैं।

निष्कर्षत:

यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व एक कला एवं कौशल है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निर्देशन का कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। यह अपने विचारों, संप्रेषण तथा समन्वय शैली से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमा रखते हैं। अत: रूपान्तरणकारी नेतृत्व में समन्वय, संप्रेषण और सहयोगी की महती भूमिका है।

प्र. सार्वजनिक निजी भागीदारी परिघटना एक प्रकार की शासन योजना अथवा क्रियाविधि में परिवर्तित हो गई है। भविष्य की चुनौतियों से पार पाने की इसकी क्षमता की विवेचना कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)**

उत्तर: सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना का अर्थ किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ समझौता है। इस समझौते के तहत शुल्क लेकर सेवा प्रदान की जाती है। इसमें दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल परपज व्हीकल गठित करते हैं जो परियोजना पर अमल का काम करता है।

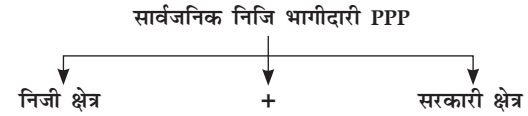

- वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी परिघटना एक प्रकार की शासन योजना अथवा क्रियाविधि में परिवर्तित हो गई है क्योंकि जब से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने गति पकड़ी तब से देश के ढांचागत क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ।
- इस क्षेत्र में विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी निवेश मॉडल काफी लोकप्रिय बनकर उभरा है। आज अवसंरचना के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- सड़क, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा ए बंदरगाह, हवाई अड्डा, पाइपलाइन और शहरी ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिए पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सार्वजनिक निजी मॉडल सक्षम है क्योंकि पीपीपी मॉडल अपनाने से परियोजनाएं सही लागत पर और समय से पूरी हो जाती है। पीपीपी मॉडल किये गए काम की गुणवत्ता सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है। परियोजनाओं को पूर्ण करने में श्रम और पूंजी संसाधन की उत्पादकता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
- हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पीपीपी परियोजनाओं से जुड़ी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी है जैसे दोषपूर्ण रिस्क शेयरिंग, अयोग्य बिजनेस मॉडल, वित्तीय अस्थिरता आदि।

प्रशासनिक कानून

प्र. *सभी न्यायाधिकरण न्यायालय होते हैं, किन्तु सभी न्यायालय न्यायाधिकरण नहीं होते। व्याख्या कीजिए।*

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारतीय संविधान की न्यायिक शाखा विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों को लागू करने और कानून को बनाए रखने जैसे कार्य करती है।

यह देश की सामान्य कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता है। न्यायालय और न्यायाधिकरण के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि न्यायाधिकरण अदालतों के अधीनस्थ है।

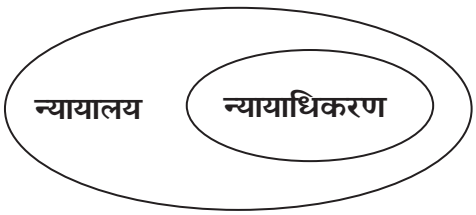

- **न्यायाधिकरण एक अर्ध-न्यायिक संस्था है** जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की जाती है। यह विवादों को स्थगित करने, एक प्रशासनिक निर्णय लेने, एक मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने जैसे कई कार्य करता है।
- न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेष मामले पर दिए गए निर्णय को पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके विरुद्ध न्यायालय के निर्णय को निर्णय, डिक्री, दोषसिद्धि या दोषमुक्त के रूप में जाना जाता है।
- **न्यायाधिकरण का गठन** विशिष्ट मामलों को निपटने के लिए किया जाता है, अदालतें सभी प्रकार के मामलों से निपटती हैं।
- न्यायाधिकरण विवाद के लिए एक पक्ष हो सकता है, जबकि न्यायालय विवाद के लिए एक पार्टी नहीं हो सकती है। एक अदालत इस अर्थ में निष्पक्ष है कि वह प्रतिवादी और अभियोजक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
- न्यायालय में केवल न्यायिक सदस्य ही भाग लेते हैं वहीं न्यायाधिकरण में न्यायिक के अलावा प्रशासनिक सदस्य भी भाग लेते हैं। न्यायाल का कार्य कठोर नियम-विनियम पर आधारित होता है। वहीं न्यायाधिकरण में नियमों पर कम समस्या समाधान पर ज्यादा बल होता है।

प्र. विनियमन सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक समन्वय और राजनीतिक हस्तक्षेप की एक पुरानी और निरंतर आवश्यक विधि है। वैश्वीकरण के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: विनियमन का तात्पर्य वैसे नियम का कानून से है जो प्रशासन व समाज को सुचारू रूप से संचालन में आवश्यक होते हैं। इसका निर्माण समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाता है।

हाल ही में कोविड-19 महामारी ने विनियमन को एक वैश्विक नियमन के रूप में बदल दिया। 2020-21 में जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में अपना पांव पसारा तब सभी देशों ने नये विनियमन के साथ इसे निपटने के लिए नियम और कानून को पारित किया जो देखते ही देखते वैश्विक स्तर पर लागु किया गया।

1. कोविड यथोचित व्यावहार का पालन
2. भौतिक दूरी बनाना
3. बार-बार हाथ धोना
4. मास्क पहनाना
5. स्वास्थ्य का ख्याल रखना
6. अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करना

- Covid-19 जैसे महामारी के समय विनियम के माध्यम से सामाजिक प्रक्रियाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप द्वारा समुचित नियंत्रण पाया जा सका। सरकार ने इसे निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। जगह-जगह पर कंटनमेंट जोन बनाए गए।
- कोविड-19 से पीड़ित नागरिकों को पृथक रखकर उनके मेडिकल व इलाज की व्यवस्था की गयी। महामारी प्रतिरोध अधिनियम 1897 में समयानुसार सरकार द्वारा बदलाव किया गया तकि महामारी की चुनौतियों से बेहतर तरीके से और कम संसाधनों के बावजूद निपटा जा सके।
- Covid-19 महामारी की व्यापकता को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भी लागू किया गया और इस महामारी के दौर में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया।
- वही Covid-19 के मरीजों के लिए Track Trace तथा trcat पहल के द्वारा इस पर काबू पाया गया। गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया गया।
- जब सिरम भारतीय संस्थान और भारतीय वॉयोटेक कंपनी द्वारा कोरोना का टीका तैयार किया गया तब सरकारी विनियमन के मुताबिक पहले फ्रंटलाइन वर्कर उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तत्पश्चात व्यस्क जनता को कोरोना का टीका दिया गया।

विकास गतिशीलता

प्र. विशेषकर विकासशील देशों में, राज्य तथा नागरिक समाज के बीच अंत: क्रिया अब तक विस्तृत रूप से उपेक्षित रही है। परीक्षण कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)**

उत्तर: नागरिक समाज का संबंध मानव जीवन के उन पहलुओं से है जो राजनीतिक सत्ता तथा राज्य और सरकार के दायरे से बाहर होते हैं। लोकतंत्र का विस्तार नागरिक समाज को राष्ट्र-राज्यों के बीच क्रमश: सहनता और व्यापकता प्रदान करता है।

- **नागरिक समाज वह प्रक्रिया है** जिसके माध्यम से व्यक्ति एक-दूसरे के साथ या राजनीतिक और आर्थिक सत्ता केन्द्रों के साथ बातचीत करते, बहस करते, संघर्ष करते या सहमति बनाते हैं।
- **राज्य द्वारा संसाधन एवं शक्ति का प्रयोग** समाज के विकास एवं कल्याण के लिए किया जाता है। विकासशील देशों में सुशासन को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य/सरकार, बाजार एवं नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। नागरिक समाज के अंतर्गत और सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, मीडिया संगठन, ट्रेड यूनियन व धार्मिक संगठन आते हैं।
- **एक राज्य के विकास पर नागरिक समाज संगठनों का प्रभाव** हालांकि उनके और सरकार के बीच मौजूद संबंधों पर निर्भर करता है। कुछ विकासशील देशों में, सरकार और नागरिक समाज के बीच संबंध हमेशा विरोधी, संदेह से भरे होते हैं। जिसमें दोनों पक्षों के लिए कोई सामान्य प्रारंभिक बिन्दु नहीं होता। ऐसे राज्य नागरिक समाज को सेवा वितरण, प्रतिस्पर्धियों में प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं।
- लेकिन कुछ अन्य देशों में राज्य एवं नागरिक समाज को बीच संबंधों में एक रचनात्मक और वास्तविक साझेदारी शामिल होती है जो दोनों पक्षों को कुछ परस्पर सहमत चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने में सक्षम बनाती है। ऐसे देशों में नागरिक समाज संगठन विकास के प्रमुख एजेंट और राज्य के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। विकास की दिशा में सरकारी प्रयासों का समर्थन करते हैं।
- **नागरिक समाज** विकसित देशों में विकसित तथा विकासशील देशों में विकासशील अवस्था में देखने को मिलता है। अर्थात विकासशील देशों में नागरिक समाज की क्षमता का दोहन अभी पूरा नहीं हो सका है।

प्र. नव लोक सेवा, लोक सेवा के बारे में क्या विशिष्ट, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है, का योगदान करता है। विवेचन कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)**

उत्तर: नव लोक सेवा का तात्पर्य नव लोक प्रशासन और नव लोक प्रबंधन से हैं।

NPS = NPA + NPM

- नव लोक प्रशासन नवीन है क्योंकि यह अपने तत्वों व अपने केन्द्रीय विषय में भिन्नता रखता है। इसके चार मूल तत्व है अथवा केन्द्रीय विषय 'मूल्य', 'समता', 'प्रासंगिता', तथा परिवर्तन है।

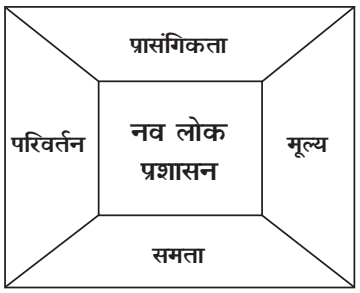

- जो कार्य पहले लोक प्रशासन द्वारा किया जाता था नव लोक प्रशासन अब उसे अधिकांश मामलों में निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने का समर्थन करता है।
- **ध्यातव्य है कि परम्परागत लोक प्रशासन** मूल्य मुक्त, नियमोन्मुखी, जटिल व्यवस्था पर आधारित यथास्थितिवादी है जबकि नव लोक प्रशासन में मूल्योंन्मुखता तथा संवेदनशीलता पर बल दिया जाता है।
- 90 के दशक में जब दुनिया में वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी इस प्रक्रिया में लोक प्रशासन में कुछ नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोणों जैसे मैनेजरिलिज्म, नव लोक प्रबंध तथा बाजार आधारित लोक प्रशासन आदि अवधारणा का जन्म हुआ।
- **नव लोक प्रबंधन** मुख्यत: इस बात पर जोर देता है कि प्रशासन को पहले सेवा पर जोर देना चाहिए साथ ही इसे और अधिक लचीला बनाना चाहिए तथा उसमें निरंतर सुधार करते रहना चाहिए।
- नव लोक प्रबंधन का जोर प्रबंधन, कार्य निष्पादन तथा दक्षता पर है न कि नीति पर। यह कुशलता मितव्ययता तथा प्रभावशीलता का पक्षधर है।

कार्मिक प्रशासन

प्र. सिविल सेवक प्रायः उन राजनीतिक कार्यपालकों के मूल्यों और नैतिक रूप रेखा का प्रदर्शन करते है, जिनके अधीन वे कार्यरत है। व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तरः भारत में कार्यपालिका का दो स्वरूप देखने को मिलता है एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद की भूमिका होती है, जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वही स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवकों की भूमिका होती है, जो अपनी विशेषज्ञता और गुणवत्ता के आधार पर जन सेवा करते हैं।

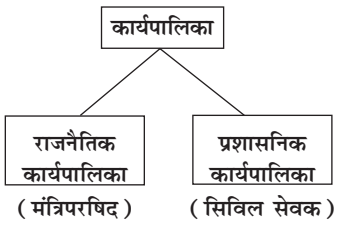

- प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में रीढ़ की तरह होते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालकों के मूल्यों और नैतिक रूप रेखा का प्रदर्शन करते हैं।
- लोक सेवक सरकारी नीतियों, कानूनों का क्रियान्वयन, नीति नियंत्रण, प्रशासनिक काम काज और राजनेताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वे अपने तमाम भूमिकाओं के जरिए विधायी कार्य, अर्द्धन्यायिक कार्य, कर और वितीय लाभों का वितरण, रिकार्ड रखरखाव और जनसंपर्क स्थापित करने जैसे दूसरे महत्वपूर्ण काम भी करते हैं।
- वैसे तो लोकतंत्र में हर स्तंभ की महता है और सबकी अपनी भूमिका होती है लेकिन इन सबसे लोक सेवकों की भूमिका काफी संवेदनशील है क्योंकि वे जनता व सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं।
- उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते स्वरूप और अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, ऐसे में आमजन की आकांक्षा पूर्ति में सिविल सेवकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सरकारी सेवकों द्वारा किये गए कार्यों के कारण लोक सेवकों की क्षमता पर सरकार और आम जनता का विश्वास बढ़ा है।

प्र. "प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका के हाथ में, उसकी उपयोगिता के बावजूद एक रणनीतिक साधन बन गया है।" टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तरः तीव्रगामी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान समय में प्रतिनिहित विधि निर्माण अपरिहार्य हो गया है। इसकी मात्रा में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है, जिसके कई कारण हैं:

पहला, आज का राज्य लोक कल्याणकारी, समाजवादी राज्य है, जिसका कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार के कारण संसद द्वारा निर्मित की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अत्यधिक कार्य भारत होने के कारण संसद विधियों की मोटी रूपरेखा का निर्माण करती है, जिसमें सरकार की नीतियों एवं ध्येयों का समावेश कर दिया जाता है। विधियों की सूक्ष्म एवं विस्तृत रूपरेखा तैयार करने को दायित्व कार्यकारी विभागों के ऊपर छोड़ दिया जाता है।

दूसरे वर्तमान समय में अधिकांश विधि या प्रावधिक प्रकृति की होती है और संसद में विधि के तकनीकी विशेषज्ञों को होना अपेक्षित नहीं है। संसद के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोकप्रिय नेता होते हैं और उनका निर्वाचन भी विशिष्ट तकनीकी योग्यता के आधार पर नहीं होता। अतः संसद जटिल विषयों से सम्बन्धित विधियों की केवल रूपरेखा की बना सकी है तथा इस रूपरेखा के आधार पर प्रशासनिक विभाग पूरे विधान की रचना करता है।

तीसरे, संसद को सदा ही समय की कमी रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संसद ने बैठक के दिन बढ़ाकर अपने काम को समय भी बढ़ाया है। जैसे कि ब्रिटिश संसद 116 दिन तथा 904 घण्टों के बजाय अब 161 दिन तथा 1,320 घण्टे वर्ष भर में कार्य करती है और भारतीय संसद वर्ष में लगभग 7 माह तक विधि निर्माण के कार्य में संलग्न रहती है। फिर भी वे समस्त विधियों को विस्तृत रूप में पारित नहीं कर पाती है। अतः उनके सामने एक ही विकल्प है कि वे अपनी कुछ सत्ता हस्तान्तरित कर दें। 'मन्त्रियों के अधिकारों सम्बन्धी समिति' के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "यदि संसद व्यवस्थापन कार्य को हस्तान्तरित नहीं करती है तो वह ऐसी विशिष्ट श्रेणी का विधान नहीं कर पायेगी जैसा कि आज का जनमत चाहता है।

चौथे, समय के परिवर्तन के साथ-साथ नियमों में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संसद यह कार्य शीघ्रता से नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बैठकें निरन्तर नहीं होती हैं। बहुत-से कानून ऐसे होते है जो समय और परिस्थिति के अनुसार कार्यान्वित होने चाहिए, अन्यथा वे अर्थहीन हो जाते है। यदि कार्यपालिका नियम बनाती है, तो उन्हें बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप सरलता से आवश्यकतानुसार ढाला जा सकता है।

सार्वजनिक नीति

प्र. नियामकीय शासन संरचनाएं विश्व समाज की आवश्यक निर्माण खण्ड बन चुकी है। आशाओं और मांगों की संपूर्ति में इनकी क्षमता और प्रभाव की प्रकृति का विवेचन कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: नियामकीय शासन या नियामक एजेंसी एक सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी होती है जो नियामकीय या पर्यवेक्षणीय क्षमता के तहत मानव गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों पर स्वायत प्राधिकरण हेतु उत्तरदायी होती है।

- **एक स्वतंत्र नियामक एजेंसी** वह है जो सरकार की अन्य शाखाओं या विभागों से स्वतंत्र होती है। नियामक निकाय प्राय: सरकार की कार्यवाही शाखा का एक हिस्सा होती है। यह उन्हें विधि से दृष्टि लेकर कार्य करने का सांविधिक प्राधिकार होता है। उनके कृत्यों की आमतौर पर कानूनी समीक्षा हो सकती है।
- **नियामक निकायों का गठन** आमतौर पर मानकों एवं सुरक्षा लागू करने या सार्वजनिक वस्तुओं के प्रयोग को देखने और वाणिज्यिक नियमन के लिए किया जाता है।
- **नियामकीय शासन के अंतर्गत** प्रशासनिक कानून को विनियमन या कानून निर्माण व नियमों को संहिताबद्ध एवं लागू करना और पर्यवेक्षण का विनियमन एवं आरोपण करना था। लोगों के हित एवं लाभ का ध्यान रखना रखते हुए क्षेत्र में कार्य करते हैं।

भारत में नियामकीय शासन वाली संस्थाएं निम्नवत हैं-

- प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड (SEBI)
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
- बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

निष्कर्ष:

वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण निजीकरण के दौर में नियामकीय प्रशासन विश्व समाज का अंग बन चुका है। इसकी क्षमता और प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिलता है। सरकार दिन पर दिन प्रशासक की बजाय सहायक की भूमिका में तब्दील होती जा रही है ताकि निजी संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और भारत को एक विकसित देश बनाया जा सके।

प्र. नीति मूल्यांकन सुदृढ़ लोक शासन में आधारभूत योगदान देता है। विवेचना कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)**

उत्तर: नीति मूल्यांकन शब्द व्यापक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। मूल्यांकन औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है।

- नीति मूल्यांकन का वर्णन ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है जो नीति के महत्व का आकलन करती है। उदाहरण के लिए मूल्यांकन अनुसंधान उस सीमा का ठीक-ठीक पता कर सकता है जिस सीमा तक नीति के लक्ष्यों को उससे जुड़ी कठिनाइयों की पहचान करने के अलावा प्राप्त किया जाता है।
- **नीति मूल्यांकन सुदृढ़ शासन का आधार है** क्योंकि नीति मूल्यांकन से शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। और प्रशासन परिणामोन्मुखी होकर कार्य संपन्न करने पर बल देता है।
- नीति निर्माताओं के लिए नीति मूल्यांकन नीति समस्याओं, विगत की प्रभावविकता और समस्याएं कम करने या समाप्त करने के लिए विद्यमान कार्यनीतियों के बारे में सुसंगत सूचना और ज्ञान प्राप्त करने का उपाय है ताकि विशिष्ट नीतियों की प्रभाविकता सुधारी जा सके।
- इस प्रकार नीति निर्माण में अनिश्चितता और जोखिम कम करके सूचना और ज्ञान से प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ाया जाता है और नीति पर प्रशासनिक नियंत्रण उपयुक्त ढंग से बढ़ाया जाता है।
- नीति मूल्यांकन ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो विभिन्न नीति मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न विकल्पों से सबसे अच्छा तरीका चुनने में मददगार होता है।
- हाल के समय में लोक नीति मूल्यांकन अधिक मिश्रित हो गया है। नीति मूल्यांकन प्रतिक्रियात्मक के बदले अधिक कार्यात्मक भी हो गया है। नीति मूल्यांकन के कारण ही लोक शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद मिली है।

निष्कर्ष:

नीति मूल्यांकन स्वच्छ व बेहतर प्रशासन का आधार है। अर्थात नीति मूल्यांकन विकसित और विकासशील देशों में सुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्र. मानक वे आधार हैं जो विनियमों का स्थान तो नहीं लेते किन्तु उनके पूरक हैं। टिप्पणी कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: विनियम सरकार में एक नियम या तंत्र होता है जो सामाजिक व्यवहार को सीमित करता है, चलाता है, या अन्यथा नियंत्रित करता है। वही मानक विनियम का स्तर होता है। प्रशासन व्यवस्था में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मानक का समिश्रण देखने को मिलता है।

प्रशासनिक सुधार की तकनीक

प्र. न्यायिक समीक्षा, प्रशासनिक शक्ति के अनुचित उपयोग या उसके दुरुपयोग की रोकथाम तथा उपयुक्त उपचार संबंधित प्रावधान प्रशासनिक विधि के मूल सिद्धांत है। राज्य के विभिन्न अंग इन सिद्धांतों को पुष्ट करने में कैसे सक्षम है, सिद्ध कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: न्यायिक समीक्षा विद्यायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र व राज्य सरकारों पर लागू होती है। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत दायरे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद कर सकती है। इसे व्यायिक समीक्षा कहा जाता है।

- न्यायिक व्यापिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य है- जैसे सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना और सरकार द्वारा किये गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण प्रदान करना। न्यायिक समीक्षा को भारतीय व्यायपालिका के व्याख्याकार की भूमिका में देखा जाता है।

न्यायिक समीक्षा , प्रशासनिक शक्ति के दुष्प्रयोग के रोकथाम के लिए विभिन्न तरीके अपनाती है जो निम्न हैं-

1. **प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा:** यह प्रशासनिक एजेंसियों पर उनकी शक्तियों निर्वहन करते समय उन पर संवैधानिक अनुशासन लागू करने का एक उपकरण है।
2. **विधायी कार्यों की समीक्षा:** इस समीक्षा का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायिका द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
3. **न्यायिक निर्णयों की समीक्षा:** इस समीक्षा का उपयोग न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णयों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या उसे सही करने के लिये किया जाता है। न्यायधीशों द्वारा किसी मामले में लिया गया निर्णय अन्य मामलों के लिए मानक बन जाता है।

- मौजूदा दौर में राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक निर्णय लेने और निष्पादित करने की प्रक्रिया में न्यायिक हसतक्षेप भी बढ़ रहा है।
- जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों की अनदेखी करती है तो यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन कर रही है।
- कानून बनाना विधायिका का कार्य है, जबकि कानूनों को सही ढंग से लागू करना कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। इस तरह न्यायपालिका के पास केवल संवैधानिक, कानूनी व्याख्या का कार्य शेष रह जाता है। सरकार के इन अंगों के बीच स्पष्ट संतुलन ही संवैधानिक मूल्यों को बचाये रखने में मददगार हो सकता है।

प्र. निष्पादन प्रदर्शन मूल्यांकन को केवल लम्बवत् पदोन्नति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता से परे देखा जाना चाहिए। व्याख्या कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: निष्पादन प्रदर्शन मूल्यांकन कर्मचारी मूल्यांकन के रूप में ज्ञात एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य निष्पादन को मूल्यांकित किया जाता है। साधारणतया गुण, मात्रा, लागत, एवं समय के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन कार्यकाल में पदोन्नति विकास का ही एक हिस्सा है। निष्पादन मूल्यांकन संगठनों में कर्मचारी निष्पादन की नियमित समीक्षा है। निष्पादन-मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रही सर्वाधिक लोकप्रिय विधियां निम्नवत हैं-

1. उद्देश्य आधारित प्रबंधन
2. 360 डिग्री मूल्यांकन
3. व्यावहारिक अवलोकन मानदंड
4. व्यावहारिक स्थिर श्रेणी मानदंड

प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा आमतौर पर सत्यनिष्ठा और अंतर्विवेकशीलता आधारित पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है

कुछ कंपनियों में, आत्म मूल्यांकन का निष्पादन करने पर भी कर्मचारियों को उनके प्रबंधक, समपदस्थ कर्मचारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों और ग्राहकों से मूल्यांकन प्राप्त होते हैं। इसे 360° मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, जो अच्छी संचार व्यवस्था को तैयार करता है। ऐसा निष्पादन मूल्यांकन अधिकारी की उपयुक्तता से परे उसके स्व अनुशासन को भी सम्मिलित करता है।

निष्पादन मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई इत्यादि से संबंधित व्यक्तिगत फैसलों के लिए आधार तैयार करना।
- कर्मचारी और प्रशासन के मध्य संचार की सुविधा प्रदान करना।
- मानव संसाधन का मूल्यांकन करना।
- इनाम/पुरस्कार को आवंटित करने के लिए मानदंड तैयार करना।
- कर्मचारी के निष्पादन पर प्रतिपुष्टि देना।
- अत: यह कहा जा सकता है कि निष्पादन प्रदर्शन मूल्यांकन एक बहुआयामी अवधारणा है इसे केवल लम्बवत् पदोन्नति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता के परे देखा जाना चाहिए।

वित्तीय प्रशासन

प्र. सामाजिक अंकेक्षण केवल धन की बचत नहीं है, यह शासन पर सकारात्मक प्रभाव सृजित करता है। टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: सामाजिक अंकेक्षण का बुनियादी मकसद लोगों का शासन के साथ कार्य कर परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है।

सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता/महत्व

- समुदाय की भागीदारी
- मस्टर रोल की जांच
- जवाबदेही का निर्धारण
- अनियमितता पर रोक
- पारदर्शिता का निर्धारण
- न्याय संगत प्रक्रिया
- निष्पक्षता का निर्धारण
- योजना के प्रभाव का मूल्यांकन
- गलतियों में सुधार
- सही दिशा का निर्धारण

- **सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य** केवल धन की बचत ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्राप्त अधिकार एवं सुविधाओं के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना है। विशेषकर सामाजिक अंकेक्षण में भागीदारी बनने का अधिकार।
- सामाजिक अंकेक्षण प्रशासन में भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। जन सुनवाई कार्यक्रमों के परिणामत: "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" जैसे नारे दिए जाने लगे। यही सामाजिक अंकेक्षण की सार्थकता रही।
- **सामाजिक अंकेक्षण को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार लाया गया** परन्तु इसके माध्यम से जब तक जनता को अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, जब तक इसे नहीं माना जा सकता है।
- मनरेगा कार्यक्रम में पहली बार सोशल ऑडिट की कानूनी आवश्यकता को समझा गया था।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नये सोशल ऑडिट को लागू कर अनेक सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। सिक्किम, तमिलनाडु और झारखण्ड आदि राज्यों ने भी सामाजिक अंकेक्षण को अपनाने में तत्परता दिखाई है।
- वर्ष 2017 में मेघालय ऐसा पहला राज्य बना, जिसने अपने सभी विभागों में सामाजिक अंकेक्षण को लागू किया।

निष्कर्ष:

हाल ही में उच्चतम न्यालय ने सामाजिक अंकेक्षण को ढांचागत मजबूती देने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। अगर सोशल ऑडिट को उचित प्रकार से लागू किया जाता है तो शासन में वितरण और कार्यान्वयन में सुगमता आ जाएगी।

प्र. 'परिणामोन्मुखी बजटन निष्पादन बजटन की कमजोरियों का समाधान करता है।' विस्तार कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारत में हर वर्ष बड़ी संख्या में विकास से संबंधित योजनाएं जैसे मनरेगा, एनआरएचएम, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि लागू की जाती है।

- ये योजनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रही दूसरे मूल्यांकन के लिए हमारे देश में कोई खास पैमाना निर्धारित नहीं है।
- इन योजनाओं में हर वर्ष भारी-भरकम धनराशि खर्च की जाती है। कई बार योजनाओं के लटके रहने से लागत में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाती है।
- इन कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 2005 में भारत में पहली बार परिणामोंन्मुखी बजट (outcome Budget) पेश किया गया था जिसके अंतर्गत आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने किस प्रकार उपयोग किया उसका ब्यौरा देना आवश्यक था।
- परिणामोन्मुखी बजट मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रदर्शन में एक मापक का भी कार्य करता है। जिससे सेवा, निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि परिणामोन्मुखी बजट के जरिये विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों की आपूर्ति को सही-सही जानकारी भी मिल सकती है।
- किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाये जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। निष्पादन बजट में सरकार जनता की भलाई के लिए क्या कर रही है? कितना कर रही है और किस कीमत पर कर रही है जैसी सभी बातों को शामिल किया जाता है। वहीं परिणामोन्मुखी बजट में परिणाम पर अधिक बल दिया जाता है। परिणामोन्मुखी बजट निष्पादन बजट की कमियों को दूर करने में भी मददगार है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
(द्वितीय प्रश्न पत्र)
भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. ''मुगल प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रीयकृत निरंकुशतावादी थी।'' टिप्पणी कीजिये।(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: मुगल प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। मुगल बादशाह साम्राज्य का प्रमुख होने के साथ ही सेना का प्रधान, न्याय व्यवस्था का प्रमुख, इस्लाम का रक्षक और मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। अर्थात बादशाह में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्तियां निहित थी, अत: मुगल शासन व्यवस्था शक्ति पृथ्क्करण के बजाए निरंकुशता पर आधारित थी।

- शासन में अपनी सहायता के लिए बादशाह विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रत्येक मंत्री का अपना पृथक कार्यालय होता था। मुगल काल में निम्न विभाग व मंत्री कार्यरत थे।

केंद्रीय प्रशासन

वकील या प्रधानमंत्री: यह सम्राट को सलाह देने के साथ ही प्रशासन के सभी विभागों का निरीक्षण करता था। वकील को वजीर-ए-आला या वकील-ए-मुतलक के नाम से भी जाना जाता था। वकील को राजस्व व वितीय मामलों पर एकाधिकार था।

- मुगल काल में सैन्य विभाग के मुखिया को मीर बक्शी कहा जाता था।
- बाबर व हुमायूं के शासनकाल में शासन की प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई थी। उस समय मानक प्रांतीय प्रशासन के विकास का श्रेय अकबर का जाता है।
- सन 1580 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया। सूबों में प्रमुख अधिकारी सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय वक्शी व कोतवाल थे।

प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था

- बादशाह अकबर ने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी एवं सैन्य अधिकारी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया था।
- बड़े मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। जागीर से प्राप्त होने वाला राजस्व से संबंधित मनसबदार का वेतन होता था।

निष्कर्ष:

अत: मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केन्द्रीकृत व्यवस्था थी, जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी।

प्र. भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय प्रशासन के लिए आदर्शों तथा मूल्यें की रूपरेखा प्रदान करती है। विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: प्रस्तावना भारतीय संविधान के उन उच्च आदर्शों का परिचय देती है, जिन्हें भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है। इन आदर्शों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व या राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता स्थापित करना है। प्रस्तावना भारतीय संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशीला है।

- भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। इसमें नागरिकों के हितार्थ ऐसे सभी प्रावधान किये गये हैं जिनसे उनके हितों की रक्षा हो, उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो तथा उनको विकास और प्रगति का अवसर मिले।
- भारतीय संविधान की उद्देश्यिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देशियका संविधान का सार मानी जाती है। इसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह "हम भारत के लोग" से प्ररंभ होती है।
- संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है इसका निर्धारण भी उद्देश्यिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्यिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने और उद्देश्य को जानने में की जा सकती है।
- सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखण्डता को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को वैध ठहराया था।
- केशवानंद भारती मामले (1913) में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद-368 के तहत संशोधित किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा मामले में कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता व निष्पक्षता प्रदान करते हैं।

सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे

प्र. ''भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है।'' इसकी विशेषताओं की पहचान कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

अखिल भारतीय संघ: यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमीश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना-संबधी घोषणा-पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया।

प्रांतीय स्वायतता: इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।

केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना: इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया।

संघीय न्यायालय की व्यवस्था: इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी।

भारत परिषद का अन्त: इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अन्त कर दिया गया।

साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार: संघीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थायिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलओं और मजदूर वर्ग तक किया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935 ने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता के समय संविधान सभा द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1935 को संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया और इसके अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों अपना लिया गया।

प्र. परीक्षण कीजिए की किस सीमा तक संविधानवाद के आदर्श के रूप में 'सीमित शक्तियों द्वारा शासन' भारत में एक कार्यात्मक वास्तविकता रहा है।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: संविधानवाद से तात्पर्य सीमित सरकार से है इसका सिद्धांत जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। संविधानवाद संविधानिकता की अवधारणा के एक ऐसा तंत्र है जो लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता प्रदान करता है। भारत में संविधानवाद को देश के मौलिक शासन का एक स्वभाविक परिणाम माना जाता है।

- संविधानवाद के सिद्धांतों में शक्तियों का पृथक्करण, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, लोकप्रिय संप्रभुता, स्वतंत्र न्यायापालिका, व्यक्तिगत अधिकार और कानून का शासन शामिल है। कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में कहा, संविधान एक अनमोल विरासत है और इसलिए आप इसकी पहचान नष्ट नहीं कर सकते।
- संविधानवाद की अवधारणा सभी कार्यशील लोकतंत्रों में पनपती है। हालांकि वर्षों से सरकारों ने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के बजाए अपने स्वयं के लाभ के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करना सीख लिया है।
- सरकार ने नीति निर्माण में कॉर्पोरेट हितों को पिछले दरवाजे से शामिल कर नीति-निर्माण प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य बहुसंख्यक आबादी का कल्याण है। व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो दस्तावेज अपनाया गया था, उसका उपयोग उन्हें दबाने और वंचित करने में किया जा रहा है।
- समस्या यह है कि संविधान खुद की व्याख्या नहीं कर सकता और इसकी व्याख्या सत्ता में रहने वाले लोगों द्वारा की जाती है जो संस्थाएं संविधानवाद की गढ़ थी वे या तो ढह रही है या प्रभावी रूप से कमजोर और अक्षम हो गई है।
- नियंत्रण और संतुलन को इस हद तक कम कर दिया गया है कि उनका महत्व केवल अकादमिक है। राजनीति और शासन के गलियारों में धनबल व अपराधिकरण के प्रभाव ने पहले से ही अस्थिर व्यवस्था को और खराब कर दिया है। संवैधानिकता की घोर अवहेलना में सरकार की उदासीनता के कारण जो निराशा पैदा हो रही है वे अत्यंत खतरनाक है। संविधानवाद सरकार की सकारात्मक सक्रियता से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

प्र. 'सांकेतिक नियोजन सार्वजनिक एवं निजी गतिविधियों के बीच समन्वय को आश्वस्त करने हेतु नियोजन एवं बाजारतंत्र का एक मध्य पथ है।' व्याख्या कीजिये।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: सांकेतिक नियोजन (Indicative Planning) में आर्थिक विकास के लिए योजनागत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए वृहत पैमाना तथा व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

इसमें लक्ष्य पूर्ति के लिए आदेश नहीं दिए जाते बल्कि उस पर कड़े नियंत्रण रखे जाते हैं।

- कई विकसित देशों द्वारा सांकेतिक योजना को अपनाया गया है। भारत में सांकेतिक योजना को आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया।
- चीन में नियोजन सांकेतिक योजना के आधार पर किया जाता है जिसमें आर्थिक परिणामों की केन्द्रीय योजना अप्रत्यक्ष रूप से लागू की जाती है जो बाजार की ताकतों द्वारा शासित होती है।
- सांकेतिक योजना बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अपूर्ण जानकारी की समस्या को हल करने के प्रयास में एक राज्य कार्यान्वित आर्थिक नियोजन का एक रूप है।
- परिणामी योजनाओं का उद्देश्य एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में आर्थिक रूप से मूल्यवान जानकारी की आपूर्ति करना है, जिसे बाजार स्वयं प्रसारित नहीं कर सकता है या जहां आगे के बाजार मौजूद नहीं है।
- हालांकि सांकेतिक योजना केवल अंतर्जात बाजार अनिश्चितता को ध्यान में रखती है, तदनुसार अर्थव्यवस्था की योजना बनाती है और प्रौद्योगिकी, विदेशी व्यापार आदि जैसी बुद्धिजीव अनिश्चितता को नहीं देखती है।
- सांकेतिक योजनाएं बाजार तंत्र को बदलने के विपरीत, बाजार को पूरक और आगे बढ़ाने का काम करती है इसलिए उन्हें भारत जैसे बाजार आधारित और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में अपनाया जाता है।

निष्कर्ष:

अत: यह स्पष्ट है कि सांकेतिक नियोजन सार्वजनिक एवं निजी गतिविधियों के बीच कड़ी का काम करता है।

प्र. क्या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख निकायों का निजीकरण भारत में लोक हित के लिए अच्छा संकेत है? उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के फायदे और नुकसान की चर्चा विभिन्न उदाहरणों द्वारा करनी है तथा एक संतुलित निष्कर्ष देना है।

उत्तर: केन्द्रीय बजट 2020-21 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के दो पब्लिक सेक्टर बैंक, एक बीमा कंपनी- एल.आई.सी., आई.डी.बी.आई आदि के निजीकरण की बात की गई है। साथ में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार के अंतर्गत खनन, रक्षा, अंतरिक्ष, बंदरगाह आदि के निजीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के इस निजीकरण के निम्न सकारात्मक प्रभाव होंगे।

वित्त की आपूर्ति- कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट के कारण सरकार के कोष पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह निजीकरण वित्त की समस्या दूर करेगा।

राजकोषीय घाटा- मौजूदा वित्तीय वर्ष में आगे 2021-22 में सरकार का राजकोषीय घाटा 6.8% और 2020-21 में यह घाटा 9.5% रहा है। इस राजकोषीय घाटा को निश्चित सीमा में रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है।

गुणवत्ता पूर्ण सेवा, उपभोक्ता संतुष्टि, समयबद्ध सेवा की आपूर्ति होगी।

घाटे में रहे उपक्रमों का निजीकरण उन्हें लाभ की ओर ले जाएगा उनके प्रबंधन में सुधार होगा। निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, विकास में बढ़ोत्तरी होगी।

- नॉन परफॉमेंस एसेटस (NPA) में कमी बैंकों का निजीकरण उन्हें NPA के घाटे से बाहर निकालेगा। बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
- सरकार अपना ध्यान कल्याण के कार्यों में पूरी जवाबदेयता के साथ लगाएगी।
- गरीबी, भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या दूर करने के लिए सरकार के आय में वृद्धि होगी जिससे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए कल्याणकारी योजना में वृद्धि होगी।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी होंगे।

केंद्र सरकार और प्रशासन

प्र. ''मंत्रालयों एवं विभागों में कार्यों का निर्बाध संपादन मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय की भूमिका पर निर्भर करता है।'' विवेचन कीजिये। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: मंत्रीमंडलीय सचिवालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग समाविष्ट हैं। प्रशासन के उद्देश्य से केन्द्रीय शासन को विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में विभक्त किया गया है।

- एक मंत्रालय में समान्यतया दो से चार तक विभाग होते हैं। यद्यपि यह संभव है कि कुछ मंत्रालय ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें विभाग न हो यथा - विदेश मंत्रालय इसी तरह कुछ विभाग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय के अधीन नहीं रखा गया है यथा महासागर विकास विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि।
- मंत्रालयों एवं विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-77 के अंतर्गत बनाये गये भारत सरकार (कार्य निर्धारण) नियम 1961 के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय या विभागों के राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं एवं प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं।
- मंत्रिमंडलीय सचिवालय एक प्रशासनिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। यह मुख्य रूप से नीति निर्माण, कार्य पद्धति की रीतियों एवं नियमों का निर्धारण, विधि निर्माण से संबंधित कार्य, कार्यपालिका विभागों को उनके कार्यों के लिए निर्देशन एवं मार्गदर्शन, कार्यपालिका विभागों के कार्यो का मूल्यांकन आदि करता है।
- यह सचिवालय संघीय सरकार का प्रमुख कार्यपालक यंत्र है और संघीय विषयों के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय एक ओर नीति निर्धारण, समन्वयकर्ता और नियंत्रक निकाय है, वहीं दूसरी ओर वह सरकार का प्रमुख सलाहकार निकाय भी है। यह सचिवालय मंत्रालय एवं विभाग के कार्यों का निर्बाध संपादन में अहम भूमिका अदा करता है।

निष्कर्ष:

मंत्रिमंडलीय सचिवालय प्रशासन की रीढ़, है किंतु सचिवालय का बढ़ता हुआ क्षेत्र, अत्याधिक खर्चिली व्यवस्था, विलम्बकारी प्रक्रिया कार्यपालक अभिकरणों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय अपनी निर्धारित भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पा रहा है।

प्र. ''भारतीय संघ का ढांचा, कुछ असममित (असिमैटरिक) विशेषताओं के बावजूद, काफी हद तक सममित (सिमैटरिक) है।'' भारत में भारित और विभेदित समानता के सिद्धान्त के माध्यम से राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रें की स्थिति का परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारतीय शासन प्रणाली में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संघ में दो प्रकार की इकाइयां हैं-

क) राज्य और

ख) संघीय क्षेत्र

- वर्तमान में आठ केन्द्र शासित प्रदेश हैं। संघ के राज्यों को तो राज्य सूची के विषयों पर लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त है, किंतु संघीय क्षेत्रों के संबंध में केन्द्र को नियंत्रण की प्रभावशाली शक्तियां प्राप्त हैं।
- संसद को इन क्षेत्रों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और वह इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सहायता से नियंत्रित करता है।
- भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केंद्रीकरण किया गया है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन है।
- भारत क्षेत्र और जनसंख्या के दृष्टि से अत्याधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है।
- संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि "भारत, राज्यों का एक संघ होगा।" लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है।
- वास्तव में, भारतीय संघीय व्यवस्था में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं।

भारतीय संघ व्यवस्था में सघात्मक शासन के प्रमुख रूप से चार लक्षण कहे जा सकते है-

(1) संविधान की सर्वोच्यता

(2) संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन

योजनाएं और प्राथमिकताएं

प्र. ''आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रगतिशील नीति है।'' विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करना तथा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।

- इस अभियान के तहत आगामी वर्षों में अधिकतर वस्तुओं का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इस कारण से ही इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर रखा गया है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना है, जिनकी वजह से भारत का ज्यादातर व्यापार बाहरी देशों पर निर्भर है। इसमें बाहर की वस्तुओं पर निर्भर न रहकर, अपने स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को हमारे देश में ही तैयार करना शामिल है।

- वर्तमान समय की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी आपूर्ति हमें हमारे पड़ोसी देशों से करनी पड़ती है। भारत के विकास की जड़े अगर मजबूत करनी है तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तभी हमारा भारत विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आएगा।

आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास- देश की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहा है और इस ओर सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास भी किया जा रहा है। भारत की आजादी की लड़ाई में भी महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जिसमें उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रहकर भारत में बनी वस्तुओं पर निर्भर रहने की अपील की थी।

- महात्मा गांधी स्वयं भी स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और महात्मा गांधी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना कदम उठाया था। अगर भारत आत्मनिर्भर बन जाता है तो भारत को अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि भारत स्वयं ही ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा।

देशी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा- आत्मनिर्भर होने से भारत में देशी और घरेलू उद्योग बढ़ेंगे और देश के कुशल और सक्षम लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। इससे देश के आर्थिक हालात में भी सुधर हो सकेंगा और बेरोजगारी भी कम होगी।

- भारत के आत्मनिर्भर बनने से भारत में कई तरह के वस्तुओं का निर्माण होगा जिससे भारत में उद्योग भी बढ़ेंगे। भारत उन वस्तुओं को विदेश में भी भेज सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- आत्मनिर्भर होने से भारत में देशी और घरेलू उद्योग बढ़ेंगे जिस वजह से भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत उन वस्तुओं को विदेश में भी भेज सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विदेशी मुद्रा का भंडारण- पहले से देश अब तक जिन वस्तुओं का आयात करता था आत्मनिर्भर बनने के बाद भारत अब उनका निर्यात कर सकेगा, इससे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा।

- निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इस अभियान के तहत निजी क्षेत्रों के हस्तक्षेप के लिए खोल दिया जाएगा। इस अभियान के तहत भारतीय बाजार में निजी कंपनियों की डिमांड व उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।
- देश में कोरोना महामारी की वजह से देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें आर्थिक समस्याएं भी थीं। वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुवात के बाद ही हमें इसके परिणाम देखने को मिले हैं।

निष्कर्ष:

देश में कोरोना से लड़ने के लिए पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि भारत में बनने लगा और इतना ही नहीं वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कोरोना का टीका भी भारत में ही पहली बार बनाया गया। अत: आत्मनिर्भर भारत एक प्रगतिशील नीति है।

प्र. ''राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग हमारे देश की विकास कार्यसूची तैयार करने में 'सुपर केबीनेट' बन चुका है।'' उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन का परीक्षण कीजिये। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: नीति (नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया) आयोग की घोषणा लालकिले के प्राचीर से 15 अगस्त, 2014 को की गई थी। 1 जनवरी, 2015 को इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की गयी। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया।

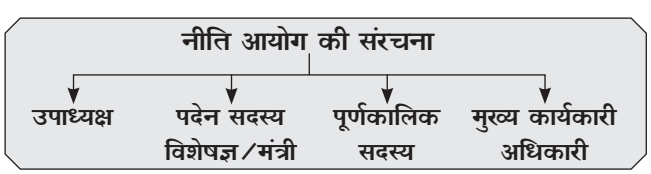

- **नीति आयोग अमेरिकन थिंक टैंक से प्रेरित** है। इस संस्था में पांच स्थायी सदस्य, दो अंशकालिक सदस्य एक उपाध्यक्ष एवं एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। यह भारत के लिए परविर्तनकारी नीतियों का निर्माण करता है।

राज्य सरकार और प्रशासन

प्र. ''मुख्य सचिव राज्य और केन्द्र सरकार के बीच मुख्य संचार-कड़ी है''। व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यह मुख्यमंत्री की विचारधारा और पसंद पर आधारित सिविल सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है।

(1) राज्य सचिवालय का प्रमुख: मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है वह राज्य की प्रशासन व्यवस्था का नेतृत्व करता है तथा केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के बीच संचार की कड़ी के रूप में कार्य करता है।

(2) मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार: मुख्यमंत्री अधिकांश मामलों में प्रमुख सचिव से परामर्श करता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के संबंध में प्रारूप तैयार करता है। वह सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न विभागों और सचिवालय स्तर पर समन्वय में भूमिका निभाता है।

- वह मंत्रिमंडल के बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश देता है।

(3) संकटकालीन प्रशासन: यदि राज्य में अनुच्छेद 356 लागू हो तो इस समय मुख्य सचिव की भूमिका और भी बढ़ जाती है। इस तरह से संकटकाल में वह राज्य में नर्व सिस्टम की भांति कार्य करता है और इस स्थिति में वह राज्य प्रशासन के संचालन में मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है।

- भारत सरकार के समस्त एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने एवं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करता है साथ ही संघ सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी गई सूचनाओं को प्रेषित करता है। मुख्य सचिव न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुरूप तथा मंत्रिपरिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित तालमेल द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही करता है।

(4) संचार की प्रमुख कड़ी: मुख्य सचिव केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य सम्प्रेषण का मुख्य माध्यम होता है तथा दो राज्यों के मध्य भी सम्पर्क एवं संचार की प्रमुख कड़ी होता है।

प्र. भारत में जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधिकारी एक अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उपर्युक्त कथन के संदर्भ में भारत में समन्वित विकासात्मक प्रशासन लाने हेतु जिलाधिकारी के बहुआयामी उत्तरदायित्वों की विवेचना कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: एक जिलाधिकारी जिले के प्रशासन का प्रमुख होता है। इसका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। यह जिले में विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है-

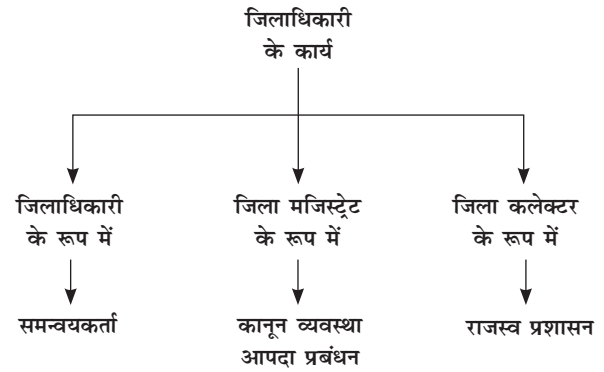

1. **जिलाधिकारी के रूप में** जिलाधिकारी जिला स्तर पर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिले के अन्य सभी विभाग व कार्यालय उसके अधीन कार्य करते हैं। वह जिले में विभिन्न विभागों का समन्वकर्ता होता है।
2. **जिला मजिस्ट्रेट के रूप में** वह अपराधिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर सामान्य नियंत्रण रखता है। जिले में कानून व व्यवस्था बनाये रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. **जिला कलेक्टर के रूप में** जिलाधिकारी राजस्व अधिकारियों के शीर्ष के रूप में कार्य करता है। भू-विवादों का निवारण, भूमि प्रबंधन व भूमि अधिग्रहण, कृषि सुधार के संबंध में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी जनगणना, चुनाव इत्यादि कार्यों को सम्पन्न कराता है।
4. **विकास कार्य निवर्तमान समय में** पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परितर्वन के कारण वर्तमान में जिलाधिकारी विकास से संबंधित कार्य भी करता है। वह जिले का सबसे व्यस्ततम अधिकारी होता है।

अत: जिलाधिकारी के बहुआयामी कार्यों को देखते हुए यह सही ही कहा गया है कि "जिलाधिकारी एक छोटे कछुएं की भांति होता है जिस पर हाथी का बोझ लदा हुआ होता है।"

प्र. राज्यपाल की भूमिका एक सक्रिय राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक दूरदर्शी परामर्शदाता, मध्यस्थ तथा विवाचक की होती है। इस संदर्भ में भारत की राज्यीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: भारतीय संविधान में अनुच्छेद-153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन

प्र. विगत दो दशकों में भारत की आपदा प्रबंधन की लोकनीति बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों पर केंद्रीत होने से हटकर समग्र प्रबंध की ओर स्थानांतरित हो गयी है। विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021)

उत्तर: आपदा प्रबंधन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं कर सकता है बल्कि यह योजना बनाकर जोखिम कम करने में मदद करता है।

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी और संस्थागत संरचना का प्रावधान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया है। भारत की संघीय राजनीति में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है।
- केंद्र सरकार, योजनाएं नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करती है और तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। जबकि जिला प्रशासन केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर अधिकांश कार्यों को संपन्न करता है।
- भारत ने आपदा प्रबंधन के सेंडाई फ्रेमवर्क को भी अपनाया है जिसका विजन भारत को आपदा प्रबंधन मुक्त बनाना, आपदा जोखिमों में पर्याप्त कमी लाना है, जन-धन, आजीविका और आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय उकसान को कम करना है। इसके लिए प्रशासन के सभी स्तरों पर और साथ ही समुदायों की आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाया गया है।
- हाल में आये चक्रवाती तूफान ताऊते, यास और गुलान के समय आपदा प्रबंधन टीम ने मानवीय मदद की और लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया तथा ठीक करने में मदद की, इससे संगठन का मानवीय चेहरा सामने आता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड बाढ़ आपदा में, रेल दुर्घटनाओं के समय, सड़क हादसा होने पर आपदा टीम सर्वप्रथम मानवीय सहायता पहँचाती है। आपदा प्रबंधन का संवेदनशील और मानवीय कार्य ही इसे और संगठन से अलग पहचान दिलाता है।

प्र. ''भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण जिला प्रशासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक, परंतु अपर्याप्त पूर्व-शर्त'' है स्पष्ट कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2017)

उत्तर: स्वतंत्रता के बाद भी भारत में जिला ही क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई बना हुआ है जिस पर भारतीय लोक प्रशासन का ढांचा खड़ा किया गया है।

स्वातंत्रोतर भारत में जिला प्रशासन के लक्ष्य कार्य एवं दायित्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं जिससे उसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत तथा स्थिति अधिक मजबूत है।

राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर भूमि संबंधी प्रबंध कार्यों को अपने जिले में संपन्न करता है। इस कार्य में कलेक्टर की सहायता एसडीओ, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी आदि कर्मचारी करते हैं, वह भू-राजस्व का मूल्यांकन करता है तथा कृषि संबंधी सांख्यिकी तैयार करता है।

राजस्व अधिकारी के रूप में वह लगभग बीस प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। इनमें से कुछ कार्य है राजस्व बकाया एवं बकायो का संग्रहण, ऋण का वितरण और वसूली, फसलों की क्षति का अनुमान लगाना तथा राहत के लिए सिफारिशें करना, विपत्ति का वितरण, अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाना, भू अधिग्रहण कार्य वर्षा फसल आदि से संबधित सभी प्रकार को कृषि सांख्यिकी का संग्रहण कोषालय और उपकोषालय का अधीक्षण जागीर उन्मूलन मुआवजा भुगतान मुद्राक अधिनियम को प्रवर्तित करना बाढ़, अकाल, आगजनी, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत कार्य आदि।

जिला विकास अधिकारी के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कलेक्टर के विकास कार्य महत्वपूर्ण मानते जाते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और पंचायती राज सस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने लगा है।

जिले में विकास कार्य का समन्वय करना, विकास कार्यों के संबंध में सामयिक एवं तात्कालिक प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को योजना आदि उसके प्रमुख उत्तरदायित्व हैं, वह जिले के विकास अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर को प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं, उसको पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वह अनेक राज्यों में जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है, वह जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेता है।

वह समिति एवं पंचायतों को बाहर से नियंत्रित करता है तथा वह देखता है कि उक्त संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाह करती है या नहीं।

विकास प्रशासन के संदर्भ में कलेक्टर का विकास कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यों में समन्वय तथा सहयोग लाने के लिए योजनाओं के निर्माण एवं उनकी उचित रूप से क्रियान्विति करने के लिए वह जिम्मेदार है।

विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं के निराकरण का प्रयास भी करता है।

नागरिक सेवाएं

प्र. भारत में नागरिक अधिकारपत्र प्रशासनिक व्यवस्था को नागरिक केन्द्रित बनाने के उसके उद्देश्य में सफल नहीं हुए है। कारण दीजिये। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: सामान्यत: नागरिक अधिकार पत्र अर्थात सिटीजन चार्टर जनसेवाओं से संबंधित विभागों के लिए जारी किए जाते हैं और इनका उद्देश्य जन सेवाओं को दक्ष, त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाना है, हालांकि सिटीजन चार्टर प्रशासनिक व्यवस्था को भारत में जन केन्द्रीत बनाने में असफल रहा है इसके निम्न कारण हैं।

(1) जन जागरुकता का आभाव: केवल कुछ ही प्रतिशत उपयोगकर्ताओं के सिटीजन चार्टर में की गई प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में पता होता है। इसका कारण यह है कि वितरण वादे के मानकों के संदर्भ में जनता को जागरूक करने तथा शिक्षित करने के प्रभावी प्रयास नहीं किये गए हैं।

(2) खराब डिजाइन और सामग्री: सार्थक और संक्षिप्त सिटीजन चार्टर की कमी, महत्वपूर्ण जानकारी की अनुपस्थिति जो कि उपयोगकर्ताओं को एजेंसियों को जवाबदेह रखने की आवश्यकता है।

(3) अघतन का अभाव: सिटीजन चार्टर को समय-समय पर अद्यतन **(update)** करने के प्रयास कम ही कि, जाते हैं।

(4) सहभागी तंत्र से रहित: सिटीजन चार्टर अधिकांश मामलों में, अत्याधुनिक कर्मचारियों के साथ एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार नहीं किया गया जो अंत में इसे लागू करेगा।

- चूंकि सिटीजन चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक नागरिक-केन्द्रित बनाना हैए इसलिए हितधारकों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

सिटीजन चार्टर अभी भी सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नहीं अपनाया गया है। यह दर्शाता है कि स्थानीय मुद्दों की अनदेखी की गई है। इसे सभी मंत्रालयों/विभागों में लागू कर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जन केन्द्रित बनाए जाने की आवश्यकता है।

प्र. प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण न्यायिक नियन्त्रण का प्रतिस्थानापन्न नहीं है। टिप्पणी कीजिये।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका सैद्धांतिक रूप से प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद संसद की समिति के रूप में काम करती है एवं लोकसभा के विश्वास पर्यन्त अपने पद पर बनी रहती है।

- संघीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण बनाये रखती है

(i) प्रश्न पूछकर

(ii) काम रोको प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव द्वारा

(iii) राष्ट्रपति के भाषण पर वाद-विवाद

(iv) बजट पर वाद-विवाद

(v) वित्तीय नियंत्रण-यह नियम समितियों के माध्यम से रखती है-

- **(a)** लोक सभा की प्राक्कलन समिति
- **(b)** सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
- **(c)** लोक लेखा समिति

(vi) आधे घंटे की चर्चा

(vii) अविश्वास प्रस्ताव

संसदीय व्यवस्था में प्रशासन पर नियंत्रण दिन-प्रतिदिन कम प्रभावी होता जा रहा है जिसके प्रमुख कारण हैं-

- संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होना, अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुन: निर्वाचन का भय, कठोर दलीय नियंत्रण, व्यवस्थापिका के सदस्यों का काम प्राप्ति हेतु सरकार का समर्थन, संसद के पास पर्याप्त समय का अभाव और दक्ष कर्मचारी न होना।
- संसदीय शासन में प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण भी आवश्यक है, ताकि प्रशासन को अधिक जन केन्द्रीत तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सके।
- प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण न्यायिक नियंत्रण प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि सम्पूरक के रूप में कार्य करता है। प्रशासन पर संसद एवं न्यायिक नियंत्रण से कार्य विलंब में कमी और जवाबदेहिता बढ़ती है।

प्र. भारत में, बहुसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए सरकारी हस्तक्षेप जीवन का एक केन्द्रीय तथ्य बना हुआ है। फिर भी, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन लोकसेवकों के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। विवेचन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: सिविल सेवक राज्य और लोगों के बीच पुल की तरह कार्य करते हैं। वे राजनीतिक कार्यपालिका और नागरिक दोनों के प्रति जवाबदेह हैं।

वित्तीय प्रबंधन

प्र. ''विगत तीन दशकों के दौरान हुए नवीन आर्थिक सुधारों ने न केवल औद्योगिक लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) के क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिये अनन्य आरक्षित क्षेत्र को घटाया है बल्कि विद्यमान सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता को भी अतिक्रमित किया है।'' परीक्षण कीजिये।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बांटकर देखा जाता है।

- **अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिए** स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया। इसके तहत रुपये के विनिमय दर का अवमूल्यन करना, आईएमएफ से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपायों पर बल दिया गया।
- **संरचनात्मक समायोजन के तहत** सुधारों को प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में बांटकर देखा जाता है। इसमें औद्योगिक सुधारों के तहत छः उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया। बाजार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा दिया गया तथा तकनीकी उन्नयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट दी गई।
- **वितीय सुधारों के तहत** रिजर्व बैंक की भूमिका को नियामक के स्थान पर सुविधादाता के रूप में बदल दिया गया तथा एसएलआर एवं सीएलआर के अनुपात को तर्कसंगत बनाया गया।
- **विदेशी संस्थाओं को भारतीय वित बाजार में निवेश की अनुमति दी गई।** वहीं राजकोषीय सुधारों के तहत कर को तर्क संगत बनाकर कर की मात्रा में वृद्धि की गई। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयातों पर प्रतिबंधों को कम किया गया और निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया।
- **दूसरी पीढ़ी के सुधारों** में इन्हीं सुधारों को व्यापक रूप से लागू करने के साथ-साथ अवसंरचना के विकास का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र की नीति को वृहद उद्योगों के साथ-साथ लघु तथा कुटीर उद्योगों पर भी लागू किया गया।
- **वितीय क्षेत्र में मुद्रा बाजार के स्थान पर पूंजी बाजार के विकास पर बल** दिया गया है। इसके अलावा विस्तारीकरण नीति के तहत कृषि सुधार बुनियादी ढांचा तथा श्रम सुधारों पर बल दिया जा रहा है।
- **वर्तमान में भारत विश्व में पीपीपी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** के रूप में उभरा है। नई आर्थिक नीति अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रही है
- हालांकि भारत में अमीरों तथा गरीबों के बीच बढ़ता अंतराल तथा प्रति व्यक्ति आय के रूप में भारत का कमजोर प्रदर्शन यह बताता है कि यह नीति पूर्णतया समावेशी नहीं हो पाई है। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिए इसे अधिक समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है।
- **नव आर्थिक सुधारों से प्रेरणा** लेते हुए वर्तमान समय में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। यह निजी क्षेत्र के तरह ही लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित है।
- सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से लाभ कमाने के उद्देश्य से वर्तमान समय में महारत्न, नवरत्न व मिनीरत्न का दर्जा देने का प्रचलन बढ़ा है।
- **महारत्न व नवरत्न कंपनियां** भारत में बहुत बेहतर निष्पादन करती है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिन्दा कंपनियों को बेहतर निष्पादन के आधार पर नवरत्न का दर्जा प्रदान कर अधिक स्वायतता प्रदान करने की पहल जुलाई 1997 में की थी। इन कंपनियों को सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1,000 करोड़ रुपये निवेश की स्वायतता दी गई है।
- अक्टूबर 2022 तक भारत में कुल 74 मिनीरत्न, 13 नवरत्न और 12 महारत्न कंपनियां हैं। बेहतर निष्पादन करने वाली नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष:

ऐसे में नवीन आर्थिक सुधारों ने न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के अनन्य क्षेत्र को घटाया है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों की स्वायता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

प्र. एक राष्ट्र - एक कर नीति के विशेष सन्दर्भ में संघ-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादों के विशिष्ट क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: एक राष्ट्र-एक कर भारत की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, जीसएटी की शुरुआत से ही केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न वित्तीय विवाद सामने आ रहें हैं।

- कोरोनाकाल में जीएसटी के तहत संग्रह में भारी कमी के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय विवाद आमने-सामने आ गया। क्योंकि केंद्र ने जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत राज्यों को मुआवजा देने में असमर्थता दिखाई है।

स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार

प्र. भारतीय संविधान के XIVवें भाग के सन्दर्भ में सरकार में पार्श्व प्रवेश भर्ती का परीक्षण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: संविधान के भाग-14 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में सिविल सेवा में लैटरल एण्ट्री (पार्श्व प्रवेश) चर्चा का विषय बना हुआ है।

- भारत सरकार ने आवश्यकतानुसार 400 सचिव स्तर के **IAS** को लैटरल एंट्री के माध्यम से समायोजन करने का निर्णय लिया है। सरकार की मंशा अर्थव्यवस्था तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विशेषताओं तथा प्रतिभावानों को निजी क्षेत्र से सीधे सरकारी क्षेत्र में प्रवेश दिलाने की है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) ने भी लैटरल एंट्री की पारदर्शी तथा संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में अनुशंसा प्रस्तुत की थी।

पक्ष में तर्क

(i) बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मध्यक्रम के सिविल सेवकों की कमी की बात बसावन समिति (2016) ने अपने रिपोर्ट में की थी जिसकी पूर्ति लैटरल एंट्री द्वारा की जा सकती है।
(ii) इससे शासन की गुणवत्ता बेहतर होगी।
(iii) रेड टेप की जगह रोड कॉरपेट।
(iv) सरकारी व्यवस्था में नई ऊर्जा/नवोन्वेष

विपक्ष में तर्क

(i) सरकारी कर्मचारियों में असंतोष/अविश्वास और मनोबल में कमी आएगी।
(ii) भाई-भतीजावाद/जमीनी अनुभव का अभाव।
(iii) प्रतिभावान व्यक्ति का रूझान सिविल सेवा के प्रति कम हो सकता है।
(iv) लैटरल एंट्री वालों का मूल्यांकन कठिन।

निष्कर्ष:

भविष्य में सिविल सेवा में लैटरल एंट्री के साथ-साथ संरचनात्मक, व्यावहारात्मक तथा प्रकार्यात्मक परिवर्तन की व्यापक आवश्यकता है। हालांकि भारतीय प्रशासन में नंदन निलेकणी, डॉ. मनमोहन सिंह जैसे लोग लैटरल एंट्री के बेहतरीन उदाहरण हैं।

प्र. परम्परागत रूप से संरचित प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने अपनी उपयोगिता खो दी है। विवेचना कीजिए कि कैसे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सामने आने वाली नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान सरकारी ढांचे का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन एवं पुनः संरचना हेतु प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: प्रशासान के सुधार से तात्पर्य प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार से है, जिसमें प्रशासन स्वयं को सक्षम सशक्त व नवीन बना सके। निवर्तमान समय में संरचनात्मक, व्यवहारात्मक, प्रक्रियात्मक सक्षमता निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही है।

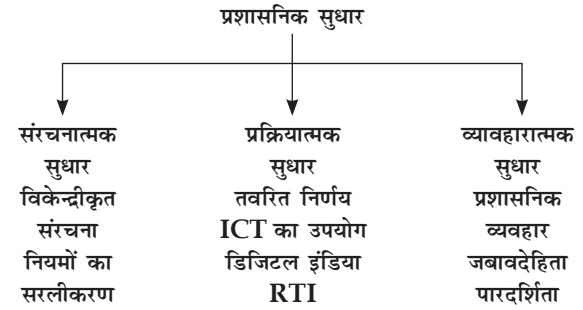

- आजादी के बाद से ही विभिन्न सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। 1966 में मोरारजी देशाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। जिसके सिफारिश पर वर्तमान में लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए निर्मित की गयी है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें प्रशासन में नैतिकता को बढ़ावा देने पर बल देने की बात स्वीकृत की गयी है।
- समय-समय पर विधि आयोग द्वारा प्रशासन में उचित सुधार की संकल्पना प्रस्तुत की गई जिसे अपनाकर प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकता है। वर्तमान में सरकार प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल नियुक्ति विशेषज्ञ सचिवों के रूप में कर रही है।
- इसके माध्यम से विभिन्न उच्च पदों जैसे सचिव, संयुक्त सचिव के पदों पर किसी विशेष क्षेत्र में महास्थ हासिल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। जिससे इनकी प्रतिभा का लाभ राष्ट्र को मिल सके।

ग्रामीण विकास

प्र. क्या आप सोचते हैं कि नवीन स्थानीयवाद 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की भावना को निर्वासित करता है? (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9क जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 को प्रभावी हुआ।

74वां संविधान संशोधन निम्न रूप में नवीन स्थानीयवाद को प्रदर्शित करता है-

- **लोकतंत्र का सही अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही।**
- जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन भागीदारी और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है।
- **शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है** कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिए यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है।
- **स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार सीमित होता है** और यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो उस क्षेत्र विशेष के निवासी हैं।
- सहीं मायनों में स्थानीय सरकार का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन।
- यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की समझ केंद्रीय या राज्य सरकारों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को अधिक होती है।
- इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है जिससे सुदूर प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं।
- महिलाओं को शहरी स्थानीय स्वशासन में न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी मुख्यधारा में शामिल होती है।

निष्कर्ष:

अत: नवीन स्थानीय वाद जमीनी स्तर पर लोगों में नियोजन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की भावना पैदा करने में मदद करता है।

स्थानीय शासन से भारत की विविधता को और अधिक सम्मान मिलता है।

प्र. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज को अपनी आजीविका एवं पारम्परिक अधिकारों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाना है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1992 में 13वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिए कानून बनाया गया।

- हालांकि **अनुच्छेद 243(m)** के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून का आवेदन प्रतिबंधित था।
- **वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों** के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्व-शासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 1996 अस्तित्व में आया।
- **पेसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है।** पेसा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की, जबकि राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार की भूमिका में है।
- पेसा निर्णय लेने की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों की स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं-

  - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।
  - पारम्परिक आस्था और आदिवासी समुदायों की संस्कृति का संरक्षण।
  - लघु वन उत्पादों का स्वामित्व।
  - स्थानीय विवादों का समाधान।
  - भूमि अलगाव की रोकथाम।
  - गांव बाजारों का प्रबंधन।
  - शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार।
  - साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार।
  - अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई अन्य अधिकार।
- राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय कानून बनाएं। इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ।

शहरी स्थानीय सरकार

प्र. संवैधानिक स्थिति के बावजूद जिला नियोजन समितियाँ योजनाओं को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में अस्तित्वहीन बनी रही हैं। विवेचन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 243ZD में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिला नियोजन समिति का गठन किया जाता है।

- जिला नियोजन समिति का मुख्य कार्य पंचायत समितियों और नगरपालिका निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनओं का समेकन कर, सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर, राज्य सरकार को प्रेषित करना है।
- मुख्य आयोजन अधिकारी, जिला आयोजन समिति के सचिव होते हैं। जिला आयोजन शाखा जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजन अधिकारी के अधीन, जिला आयोजन समिति के सचिवालय के रूप में कार्यरत है। पंचायती राज विभाग जिला नियोजन समिति का प्रशासनिक विभाग है।

प्रत्येक जिला नियोजन समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखती है-

- जिले में जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के परस्पर सामान्य हित के मामलों के साथ-साथ स्थानीय योजना, जल एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन स्रोत में हिस्सेदारी।
- आधारभूत संरचना का समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। उपलब्ध संसाधनों का विस्तार चाहे वह वितीय हो या अन्य। प्रत्येक जिला योजना समिति के पास अग्रसारित करेगा।

हालांकि नियोजन की प्रक्रिया बहुत लंबी है। जिसके लिए काफी अधिक पेपर वर्क जरूरी है। इससे इस प्रक्रिया में जनता की रूची नहीं रहती।

निष्कर्ष:

समस्याओं के बावजूद नियोजन प्रक्रिया जन-केन्द्रित है, जो सरकार के नेक इरादे को जाहिर करती है। नागरिक अपने अधिकारों को लेकर पहले की तुलना में अधिक जागरुक बने हैं।

प्र. ''नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय उपयुक्तता तभी वास्तविक बन सकती है जब उन्हे सार्वजनिक वित्त में उचित हिस्सा प्राप्त हो।'' व्याख्या कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: हमारा संविधान न केवल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से बल्कि विशेष रूप से संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, जो देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप से स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं, के माध्यम से भी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान करता है।

- हालांकि संवैधानिक अधिदेश के बावजूद देश में शासन के तृतीयक स्तर के रूप में स्वशासी स्थानीय निकायों का विकास असमान और धीमा ही रहा है।
- इन निकायों को 3F (Funds, Functions and Functionaries) का हस्तांतरण नाममात्र ही रहा है। जमीनी स्तर पर सुशासन हेतु वित्तीय तंगी सबसे बड़ी बाधा बन गई है।
- शहरी स्थानीय सरकार राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकरों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
- सामान्यत: उनकी कार्यों की तुलना में उनकी आय का स्रोत अपर्याप्त होता है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनके द्वारा एकत्र विभिन्न प्रकार के कर हैं।
- हालांकि शहरी निकायों द्वारा एकत्र किये जाने वाले कर प्रदत्त सेवाओं पर व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते।
- यद्यपि वे कुछ नए कर लगा सकते हैं लेकिन इन स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य अपने मतदाताओं को नाराज कर देने के भय से ऐसा करने से संकोच रखते हैं।

निष्कर्ष:

राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों का नियंत्रण रखती है। उन पर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण उन्हें स्वशासन सरकारों के रूप में कार्य करने देने के बजाय अधीनस्थ इकाइयों में परिणत कर देता है।

प्र. समकालीन नगरवाद नगर योजना तथा प्रबंधन सरोकारों के विविध रूपों के समाकलन का पक्ष समर्थन करता है। भारत में नगर विकास के आलोक में उक्त कथन की विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: नगर नियोजन का तात्पर्य शहरी क्षेत्र के लिए बेहतर योजना निर्माण जिससे एक समावेशी सुविकसित शहर का विकास किया जा सके, जहां जन के वे सभी मूलभूत आवश्यक सुविधा उपलब्ध हों जो आज के आधुनिक युग में उपलब्ध हैं।

- नगर नियोजन प्राधिकरण द्वारा नगरों के भूमि उपयोग की रणनीति तैयार की जाती है तथा विशिष्ट भूमि उपयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है।

कानून और व्यवस्था प्रशासन

प्र. ''उपनिवेशवाद से लेकर वर्तमान तक बदलते हुए समय के बावजूद जिला कलेक्टर का पद सराहनीय रूप से अब भी टिका हुआ है।'' टिप्पणी कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: ब्रिटिश उपनिवेशवादी काल में में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया। उस समय जिला कलेक्टर का कार्य राजस्व एकत्रित करना तथा प्रशासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना था। ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों को सफल बनाना इसका मुख्य कार्य था।

- वर्तमान समय में जिला कलेक्टर की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन लाना है। जिला कलेक्टर सुविधा प्रदानकर्ता तथा लोकतांत्रिक विकास के लिए कार्यरत होते हैं।
- जिला अधिकारी का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा किया जाता है। एक जिला अधिकारी जिले में समन्वयकर्ता, कानून व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन तथा राजस्व प्रशासन जैसे बहुआयामी भूमिका अदा करता है।

- **विकास कार्य:** ब्रिटिशकालीन पुलिस राज्य से स्वतंत्रता पश्चात कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन के कारण वर्तमान में जिलाधिकारी विकास से संबंधित कार्य भी करता है। वह जिले का सबसे प्रमुख प्रशानिक अधिकारी होता है।

निष्कर्ष:

जिला कलेक्टर एक बहुआयामी जिम्मेदारी वाला पद है जो आज भी बना हुआ है। ऐसे जिला अधिकारी के व्यापक कार्यों को देखते हुए कहा गया है कि जिलाधिकारी छोटे कछुएं की भांति होता है जिसपर हाथी का बोझ लदा होता है।

प्र. ''भारतीय न्यायिक व्यवस्था शीघ्र न्याय प्रदान करने में असफल रही है''। न्यायपालिका के सम्मुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाएं।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: न्याय का आशय नैतिक अधिकार, तर्कसंगतता, समानता और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय लेने से है। देश के नागरिकों को समयोचित तरीके से न्याय प्रदान करने का दायित्व देश के न्यायालय के कंधों पर होता है।

न्यायालय के समक्ष चुनौतियां:

न्यायालयों में रिक्तियां एंव लंबित मामले: न्यायालयों में लंबित मामले एवं रिक्तियां काफी चितांजनक है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 40 प्रतिशत रिक्तियां एवं 57 लाख से अधिक मामले न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

न्यायाधिशों की कमी: भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 20 न्यायाधिश मौजूद हैं। जबकि अन्य देशों में यह संख्या औसतन 50-70 के आसपास है।

महिलाओं और अल्पसंख्यकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: यद्यपि देश में लिंग आधारित मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है एवं देश में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब तक नाममात्र का है।

- न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर सिख, बौद्ध, जैन या आदिवासी समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

न्यायिक विलंब के लिए कोई कठोर कार्रवाई का अभाव: यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया में विलंब की समस्या सर्वविदित है, किंतु इसके बावजूद इस समस्या की बारीकियों को समझने के लिए एवं इसे हल करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की अक्षमता: सर्वोच्च न्यायालय, न केवल मौलिक और अन्य संवैधानिक अधिकारों के रक्षक के रूप में, बल्कि विधि के शासन के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है।

कई बार नागरिकों, विपक्षी दलों, और कार्यकर्ताओं से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों के संदर्भ में, न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को बहाल करने के बजाय इन मामलों को कार्यपालिका को स्थानांतरित कर दिया।

न्यायपालिका की समस्या को दूर करने के उपाय

1. **मुख्य न्यायाधीश की भूमिका:** मुख्य न्यायाधीश को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर न्याय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके बाद ही विधि का शासन बहाल होगा एवं संविधान का अनुपालन होगा।
2. **नियुक्ति प्रणाली को सुव्यवस्थित करना:** न्यायिक रिक्तियों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के तेजी से भरना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक उचित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे

प्र. भूमण्डलीकरण के प्रारम्भ के अनुगमन में, पारम्परिक नौकरशाही प्रतिमान अपने महत्त्व को खोता प्रतीत होता है। टिप्पणी कीजिये। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भूमण्डलीकरण और उदारीकरण दोनों ने ही भारत में नौकरशाही को प्रभावित किया है। भारत में नौकरशाही का प्रारंभ ब्रिटिश काल की देन है।

उदारीकरण का सामान्य तात्पर्य-बन्धनों से मुक्ति तथा भूमण्डलीकरण की धारणा सम्पूर्ण विश्व ग्राम की धारणा से प्रेरित है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संचालन में नौकरशाही का विशेष योगदान होता है।

- सन् 1991 के बाद भारत में उदारीकरण का विकास तेजी से हुआ। जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नौकरशाही पर भी पड़ा उदारीकरण के दौर में सरकार के आकार में कटौती, नौकरशाही के कार्यभार के हल्का करने, परिणाम प्राप्ति, उत्पादकता और जवाबदेयता जैसे शब्द लोक प्रशासन के क्षेत्र में गुंजायमान होने लगे।
- इससे परम्परागत नौकरशाही की कार्यप्रणाली में काफी हद तक बदलाव आया।
- वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणाम स्वरुप नौकरशाही को अधिक लचीला बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- इन नवीन अवधारणाओं ने नौकरशाही के परम्परागत स्वरुप को विकृतियों से युक्त एवं अधिकाधिक व्ययशील बताया है।
- लोक प्रशासन की सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए उनमें निजी क्षेत्र की सेवाओं एवं व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है।
- संविदा के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में एक प्रकार्यात्मक संयोजन विकसित करने पर बल दिया गया है।
- वैश्वीकरण के दौर में नौकरशाही के विकल्प की तलाश जोर-शोर से प्रारम्भ हुई।
- नवीन लोक प्रबंध का एक नया प्रतिमान हाथ लगा जिसका जोर बाजार और निजीकरण पर अधिक है।

निष्कर्ष:

अत: जहां भूमण्डलीकरण के प्रारम्भिक दौर में नौकरशाही के आकार में कमी का नारा बुलंद किया गया था, वहीं आज राज्य के पुन: आगमन की पुरजोर वकालत की जा रही है। वर्तमान समय में नौकरशाही नियंत्रक से सुविधा प्रदायक बन गया था।

प्र. अत्यंत महत्व के सामरिक मुद्दों पर निर्णय निर्माण में भूमिका के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय अपने आप में एक सशक्त संस्था बन गया है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय से आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नजदीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं।

- 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था जिसे मोरारजी देशाई के प्रधानमंत्रित्वकाल में बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय नामकरण कर दिया गया।
- प्रधानमंत्री कार्यालय का काम है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों को पूरा करने के कार्य में उसकी सहायता करना।
- अत: प्रधानमंत्री कार्यालय एक स्टॉफ एजेंसी है जो प्रधानमंत्री को सचिव सहायता और महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित सलाह देती है।
- नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेदारी निर्वहन में मदद करना।
- वे सभी मामले जिन पर प्रधानमंत्री रूचि रखते हैं; के लिए केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ उसके संबंधों सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री को समग्र जिम्मेदारियों के निष्पादन में मदद करना।
- प्रधानमंत्री के जन सम्पर्क के संबंधित पक्ष जो बौद्धिक मंचों और नागरिक समाज से संबंधित होते हैं उनमें मदद करना। इससे यह दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जनता से प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए यह जन सम्पर्क कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- अत्यंत महत्व के सामरिक मुद्दे जैसे विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा खरीद और अंतरिक्ष संबंधी निर्णय ज्यादातर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही सुनियोजित तरीके से लिये जाते हैं।
- यहां तक कि विमुद्रीकरण, राफेल खरीद जीएस कानून को लागू करना, तथा एनपीआर और सीएए जैसे प्रावधानों को लागू करने का निर्णय भी काफी हद तक प्रधानमंत्री कार्यालय से ही लिये गये, जिस कारण यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय एक सशक्त निर्णयन संस्था बन गया है।